शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 7 अंक : 12   1 जुलाई 2015

(प्र.-द्वि. आषाढ़, विक्रम संवत् 2072)

संरक्षक

मुकुन्द कुलकर्णी

प्रो.के.नरहरि

❖

परामर्श

डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल

प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल

❖

सम्पादक

प्रो. सन्तोष पाण्डेय

❖

उप सम्पादक

विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी

भरत शर्मा

❖

संपादक मंडल

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय

डॉ. नाथू लाल सुमन

❖

प्रबन्ध सम्पादक

महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक

बजरंग प्रसाद मजेजी

प्रेषण प्रभारी

बसन्त जिन्दल 9414716585

नौरंग सहाय भारतीय 9460142051

कार्यालय प्रभारी

आलोक चतुर्वेदी 9782873467

प्रकाशकीय कार्यालय

82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर (राज.) 302001
दूरभाष: 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :

शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,
कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053
दूरभाष: 011-22914799

E-mail:
shaikshikmanthan@gmail.com
Visit us at:
www.shaikshikmanthan.com

एक प्रति 20/– वार्षिक शुल्क 200/–
आजीवन (दस वर्ष) 1500/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

भारतीय परिवेश के अनुकूल बने, शिक्षा अधिनियम ❑ डॉ. रेखा भट्ट

'सभी के लिए शिक्षा' के प्रयास सार्थक नहीं होने का कारण छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन भी है। कई प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही शिक्षक द्वारा चलाये जा रहे हैं। यहाँ शिक्षण कार्य पूर्ण होना सम्भव नहीं होता, अत: विद्यार्थियों का परिणाम बिगड़ने पर, आठवीं कक्षा तक विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किये जाने का प्रावधान, उन्हें अग्रिम कक्षा में क्रमोन्नत करने का विकल्प प्रदान करता है। आठवीं कक्षा तक बिना शिक्षण के उत्तीर्ण विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के योग्य नहीं होता।

17

अनुक्रम

4. शिक्षा का अधिकार : समीक्षा हेतु विचारणीय बिन्दु – सन्तोष पाण्डेय
7. परिचर्चा – शिक्षा का अधिकार
10. शिक्षा का भारतीयकरण आज की आवश्यकता – डॉ. बद्रीलाल चौधरी
13. Systemic Change is Key to Schools – J.S. Rajput
15. Right to Education Act 2009 ... – Dr. A. K. Gupta
19. शिक्षा अधिकार के आईने में प्राथमिक शिक्षा – बजरंगी सिंह
21. बाल शिक्षा अधिकार 2009 – परिचय, विसंगतियाँ... – बजरंग प्रसाद मजेजी
23. कैसे पढेंगे कृष्ण और सुदामा एक साथ? – प्रवीण त्रिवेदी
25. शिक्षा से खिलवाड़ – राकेश प्रकाश
26. बेबस बस्ता, बेरहम बोझ, बेअसर बहस – कैलाश विहारी वाजपेयी
28. शिक्षा नीति राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो – डॉ. जगदीश सिंह दीक्षित
29. 'माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या:' शाश्वत मूल्यों .... – प्रो. मधुर मोहन रंगा
32. गुरु पूर्णिमा– गुरु के प्रति आभार का दिन – मोनिका गुप्ता
36. शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वरदान है योगासन – बालमुकुन्द ओझा
38. गतिविधि

राष्ट्रीय उत्सवों का पुनरुद्धार

❑ आयुष नदिमपल्ली

जब हम किसी ऐसी घटना का जश्न मनाते हैं, जिसकी जड़ें हिंदू लोकाचार में निहित हों, तो उसके उत्सव का प्रकार उन घटनाओं के जश्न से बहुत अलग होता है, जिनकी जड़ें पश्चिम में हैं। हिंदू नव वर्ष का उत्सव मनाने और न्यू इयर्स डे मनाने में एक स्पष्ट भिन्नता दिखती है। किसी युवा महिला को 'बहनजी' कहकर पुकारना शहरी क्षेत्रों में अपमानजनक माना जाता है, और धीरे-धीरे रक्षाबंधन, जो कि एकजुटता का एक सामाजिक त्यौहार है और जो सामाजिक सुरक्षा के लिए एक गारंटी का त्यौहार है, अब केवल परिवार के नजदीकी सदस्यों के बीच सीमित कर दिया गया है। अब इसका स्थान 'फ्रैंडशिप डे' और फ्रैंडशिप बैंड ने ले लिया है।

34

शिक्षा का अधिकार : समीक्षा हेतु विचारणीय बिन्दु

❑ सन्तोष पाण्डेय

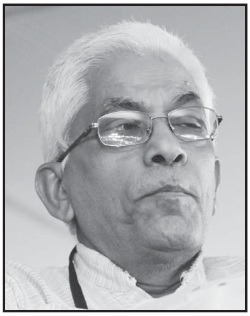

प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पढ़ने, अंतः ज्ञान, जोड़-बाकी गुणा-भाग से सभी बच्चों को परिचित कराना तथा मूल्य आधारित संस्कारों का बीजारोपण है। परन्तु 8वीं कक्षा तक अनवरत क्रमोन्नति के प्रावधान का परिणाम हुआ है कि शिक्षण की नियमितता अवरुद्ध हो रही है। शिक्षक पढ़ाना तो दूर स्कूल में जाने से बचने के उपायों में लगे हैं, तो बच्चों ने पढ़ाई को लगभग त्याग दिया है। कक्षा एक से आठ तक क्रमोन्नति से समयावधि ही पूरी हो रही है। शिक्षित व्यक्ति नहीं निकल रहे हैं। नवीं में बड़ी संख्या में छात्रों की असफलता इसी का द्योतक है। विचारणीय विषय यह है कि क्या इसका विकल्प परम्परागत परीक्षा प्रणाली पर वापसी है, अथवा कोई अन्य मार्ग भी हो सकता है। इस बात पर सभी सहमत होंगे कि क्रमोन्नति में कुछ न कुछ अवरोध होने चाहिये, जिनको पार करने पर ही क्रमोन्नति मिले।

संपादकीय

शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकार स्वीकार करने के बाद 6 वर्ष से 14 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु अधिनियम बना। इसके अन्तर्गत नियम बनाये गये व लागू किये गये। इन व्यवस्थाओं को लागू हुये आधा दशक बीत चला। अनेक सफलतायें मिली। बालक व बालिकाओं को स्कूलों में दाखिले को लगभग शत प्रतिशत बनाने की उपलब्धि हुई। विद्यालयों की संख्या ही नहीं बढ़ी वरन इनमें भौतिक सुविधाओं और अंतः संरचना निर्माण में आशातीत वृद्धि हुई है। इन्हीं से प्रेरित होकर प्री-प्राइमरी, नर्सरी शिक्षा तथा 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिये ऐसी शिक्षा सुविधा प्रदान करने की कामना भी बनने लगी है। एक ओर जहाँ प्रेरणादायक उपलब्धियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर इन व्यवस्थाओं में अनेक सुधार की गुंजाइश भी सामने आई हैं। इन विद्यालयों में प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गिरावट, गंभीर चिन्ता का विषय है। छात्र की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाय व इसमें सुधार की व्यवस्था क्या हो, शिक्षक-प्रशिक्षण किस प्रकार परिणाम कारक बनाया जाय, शिक्षकों के अभाव को दूर करने हेतु वित्तीय व्यवस्था कैसे हो व विद्यालयों का स्थानीय प्रबंधन किस प्रकार प्रभावी व प्रेरणास्पद बने आदि ऐसे कतिपय बिन्दु हैं, जिनका उपयुक्त समाधान शिक्षा के अधिकार की उपलब्धियों को और अधिक चमकदार बना सकता है।

शिक्षा के अधिकार की मूल आत्मा, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने में बसती है। इसके लिये जन-जन को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। देश के 20 करोड़ से अधिक बच्चों को स्कूलों में नामांकित करने का लक्ष्य एक बड़ी सीमा तक पूरा हुआ है, परन्तु आज भी लगभग 63 लाख बालक-बालिकायें औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के बाहर हैं। स्कूलों में ड्रॉप-आउट आज भी बड़ी समस्या है। बालिकाओं में ड्रॉप-आउट का बड़ा अनुपात चिन्ता का विषय है। स्कूल में लाना व फिर बनाये रखना तथा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के बाद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की शिक्षा में भी ड्राप-आउट को समाप्त करने पर ही लक्ष्य प्राप्ति हो सकेगी। बाल मजदूरी के रूप में दुकानों, घरों, भोजनालयों में कार्य करते बच्चे समाज को स्मरण कराने के पर्याप्त संकेतक हैं कि अभी भी समाज सभी को स्कूली शिक्षा प्रदान करने में न तो समर्थ हो पाया है, और न ही सफल। देश में स्वीकार्य मानदण्डों के अनुरूप शिक्षण प्रदान करने के लिये लगभग 75 लाख शिक्षकों की व्यवस्था

आवश्यक है। परन्तु न तो इनके लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं और न ही इनकी भर्ती के लिये उपयुक्त व्यवस्था। परिणाम यह है कि देश में लगभग 12 से 15 लाख शिक्षकों की कमी विद्यमान है। जो शिक्षक उपलब्ध भी हैं वे भी शिक्षक बनने के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित एवं योग्य नहीं हैं। बेरोजगारी के चलते विकल्प के अभाव में शिक्षण को अपनाने वाले शिक्षण हेतु अयोग्य (misfit) हैं। इनमें भी स्थायी नियुक्ति के अभाव में शिक्षामित्र जैसे अस्थायी व सीमित समय के लिये अल्प वेतन पर नियुक्त शिक्षक कोढ़ में खाज के समान हैं। शिक्षक के प्रशिक्षण भी परिवर्तित शिक्षण परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। आवश्यक है कि शिक्षण के प्रति अभिरुचि वाले व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण का पात्र माना जाय। देश में छात्रों की संख्या को देखते हुये लगभग 1.5 से 2 लाख नये स्कूलों की स्थापना आवश्यक है। साथ ही विद्यमान स्कूलों में भौतिक सुविधायें बढ़ाना आवश्यक है। इन सबके लिये प्राथमिक शिक्षा के अधिक वित्तीय संसाधनों का केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा आवंटन अति आवश्यक है। अब समय आ गया है, जब सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से शिक्षा पर व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत किया जाय। केन्द्र व राज्यों को शैक्षिक संसाधन आवंटन में उच्च प्राथमिकता देना चाहिये।

शिक्षा में समानता की महती आवश्यकता है। धनी व निर्धन दोनों ही वर्गों के बालक एक साथ समान सुविधाओं-असुविधाओं के साथ शिक्षा प्राप्त करें व अपनी-अपनी वैयक्तिक क्षमताओं को पूर्ण विकसित होने का अवसर प्राप्त करें यह समतामूलक समाज के निर्माण की बड़ी आवश्यकता है। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल में राजा व रंक के पुत्र समान शिक्षा को ग्रहण करते थे। योरोपीय देशों में पड़ौस के स्कूल की अवधारणा इसी पर आधारित है। भारत में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था शहरी-ग्रामीण, गरीब-धनी, निजी-सरकारी स्कूलों के वर्ग में विकसित हो रही हैं। इन वर्गों को प्राप्त शिक्षण सुविधाओं में भारी अन्तर व्याप्त है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में पड़ौस के स्कूल धारणा को भिन्न रूप में लागू किया गया है। व्यवस्था है कि 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले बच्चों के लिये निजी व सुविधा सम्पन्न विद्यालय में प्रवेश संख्या के 25 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इन छात्रों के शिक्षा व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जायेगी। इस व्यवस्था का व्यापक रूप से दुरूपयोग हो रहा है। कपटपूर्ण तरीकों से अपात्र प्रवेश पा रहे हैं। निजी स्कूलों को अनुचित रूप से अप्रत्यक्ष संरक्षण मिल रहा है। कमजोर स्थिति का बालक भी सुविधा सम्पन्न धनी वर्ग के बच्चों के बीच सहज नहीं रह पाता है या तो उसका विकास अवरूद्ध होता है, अथवा कृत्रिम व्यवहार का आदी, हीन ग्रंथि का शिकार बनता है। यह व्यवस्था समता मूलक समाज की रचना

नहीं कर सकती है। इस पर गंभीर चिन्तन मनन आवश्यक है। कम से कम प्राथमिक शिक्षा के लिये प्रत्येक क्षेत्र के स्कूल हों व वहाँ के समस्त निवासियों के बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। श्रेयष्कर तो यह होगा कि प्रारंभिक शिक्षा का सम्पूर्ण दायित्व सरकार उठाये।

प्राथमिक शिक्षा का एक और महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बालक-बालिकाओं की सीखने की आदतों (Learning habits) का मूल्यांकन व्यवस्था से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में व्यवस्था है, कि कक्षा-1 से कक्षा-8 तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जायेगा। अध्यापक निरन्तर एवं व्यापक रूप से छात्र का आकलन कर उसमें सुधार के प्रयास करते रहेंगे। यह व्यवस्था छात्र के मन से परीक्षा का भय निकालने तथा 'रटने' की प्रवृत्ति पर आधारित परीक्षा व्यवस्था से मुक्ति दिला कर शिक्षा को तनाव का कारण बनने के बजाय मनोरंजक व आनन्ददायक बनाने की अवधारणा पर आधारित है। व्यापक व निरन्तर मूल्यांकन व्यवस्था के लिये भारी शिक्षण प्रतिबद्धता, कार्य संस्कृति, विशिष्टि अभिरुचि व बड़े संसाधन आवश्यक हैं। भारतीय शिक्षण व्यवस्था में इनका भारी अभाव है। परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में अनवरत भारी गिरावट आ रही है। 'प्रथम' द्वारा प्रतिवर्ष का सर्वेक्षण, 'पीसा' परीक्षा के परिणाम व हम सभी के अनुभव इसके प्रमाण हैं कि बालकों की सीखने की आदत में भारी ह्रास हुआ है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पढ़ने, अंत: ज्ञान, जोड़-बाकी गुणा-भाग से सभी बच्चों को परिचित कराना तथा मूल्य आधारित संस्कारों का बीजारोपण है। परन्तु 8वीं कक्षा तक अनवरत क्रमोन्नति के प्रावधान का परिणाम हुआ है कि शिक्षण की नियमितता अवरुद्ध हो रही है। शिक्षक पढ़ाना तो दूर स्कूल में जाने से बचने के उपायों में लगे हैं, तो बच्चों ने पढ़ाई को लगभग त्याग दिया है। कक्षा एक से आठ तक क्रमोन्नति से समयावधि ही पूरी हो रही है। शिक्षित व्यक्ति नहीं निकल रहे हैं। नवीं में बड़ी संख्या में छात्रों की असफलता इसी का द्योतक है। विचारणीय विषय यह है कि क्या इसका विकल्प परम्परागत परीक्षा प्रणाली पर वापसी है, अथवा कोई अन्य मार्ग भी हो सकता है। इस बात पर सभी सहमत होंगे कि क्रमोन्नति में कुछ न कुछ अवरोध होने चाहिये, जिनको पार करने पर ही क्रमोन्नति मिले। यह थोड़े-थोड़े अन्तराल पर नियमित परीक्षण व्यवस्था के रूप में अपनाया जा सकता है। स्मरण रहे कि शहरी सुविधा संपन्न व धनी वर्ग से आने वाले निजी स्कूलों के बच्चे तो आगे निकलेंगे व अवसरों का लाभ उठायेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्र के कमजोर वर्ग के बच्चे पिछड़ते जायेंगे। देश में समानता के स्थान पर व्यापक असमानता प्रोत्साहित होगी। इस पर अविलम्ब चिन्तन-मनन व व्यवस्था परिवर्तन अपेक्षित है। सरकार ने यद्यपि केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा बालिका विद्यालय व मॉडल स्कूल तथा सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर समाधान का प्रयास किया है जो विशाल छात्र संख्या के लिये नगण्य है।

एक और क्षेत्र जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वह है कि शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका हो सरकार अथवा निजी उद्यम का अथवा सार्वजनिक-निजी सहभागिता का। शिक्षा संबंध व्यापक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक संदर्भों से होता है। एतदर्थ प्रारंभिक शिक्षा का संपूर्ण दायित्व राज्य का ही होना चाहिये। परन्तु आज के वैश्विक वातावरण व प्रतियोगितापूर्ण समाज में श्रेष्ठ कुशलता प्राप्त करने के लिये निजी उद्यम को प्राथमिकता मिल रही है। विकासशील देशों जिनमें भारत भी शामिल है, सभी को शिक्षा प्रदान करने में विशाल वित्तीय साधनों की पूर्ति में सरकारें, साधनों की सीमितता की आड़ ले कर अपने दायित्व से बचने की प्रवृत्ति दिखा रही है। भारत भी अपवाद नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम को भी उत्तरोत्तर बड़ी भूमिका दी जा रही है। यह भूमिका सेवा भावना से ओत-प्रोत होनी चाहिये, शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जहाँ निजी उद्यम को लाभ की भावना का परित्याग करना चाहिये। परन्तु हो इसके उल्टा रहा है। आज देश में शिक्षा एक विशाल लाभदायक उद्योग में बदल चुका है। इनकी प्रतियोगिता में सरकारी स्कूल राजकीय संरक्षण के बावजूद साधन विहीन, अधिकार विहीन, दोषपूर्ण प्रबंधन, प्रेरणा के अभाव से ग्रस्त होकर प्रतियोगिता में पिछड़ रहे हैं। इसकी कीमत समाज व अभिभावकों को चुकानी पड़ रही है। उन पर शिक्षा का व्यय भार कमरतोड़ बन रहा है। ऐसे में क्या सभी छात्रों को संपूर्ण क्षमता विकास के अवसर मिल पायेंगे, संदेह जनक है। इस व्यवस्था में सुधार व नियंत्रण की भारी आवश्यकता है।

देश में भारी कमियों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा मूलत: सरकारी स्कूलों द्वारा ही दी जा रही है। इनमें सुधार से ही शिक्षा के अधिकार के अनुरूप सभी शिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। इन विद्यालयों में प्रबंधन व निर्णय प्रक्रिया में सुधार के बिना सफलता की कामना बेमानी होगी। शैक्षिक प्रशासन शनै: शनै: केन्द्रीकृत होता जा रहा है, जिससे नवाचारों व प्रारंभण की प्रवृत्ति कुंठित हो रही है। शैक्षिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण अति आवश्यक है। प्रधानाध्यापक को निर्णय लेने के पर्याप्त अधिकार होने चाहिये। स्कूल प्रबंधन, स्थानीय समाज से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होना चाहिये। स्थानीय समाज, स्कूल को अपना अंग माने- इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। बच्चों के अभिभावकों के हित स्कूल से जुड़े होते हैं, उनका स्कूल प्रबंधन में सक्रिय व पर्याप्त योग होना चाहिये। ❑

दोराहे पर खड़ा शिक्षा का अधिकार

भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा 6 से 14 वर्ष की उम्र तक नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करें, यह सपना भारत ने स्वतन्त्र होने से पहले ही देखना प्रारम्भ कर दिया था। इस सपने को पूरा करने हेतु, स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बहुत बाद में शिक्षा का अधिकार कानून 2009 बन पाया है। इस कानून की एक प्रमुख विशेषता पिछड़े बच्चों को शिक्षा से निरन्तर जोड़े रखने तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना हैं। इनमें एक महत्त्वपूर्ण उपाय बच्चे को शिक्षा से जोड़ते समय उसकी उम्र के अनुरूप कक्षा में भर्ती करने तथा कक्षा 8 तक बच्चे को किसी कक्षा में नहीं रोकने के प्रावधान प्रमुख हैं। परीक्षा के स्थान पर सतत् व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया है। बच्चों को शारीरिक दण्ड देना या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करना दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

दिल्ली सरकार के आँकड़े बताते हैं कि बिना पर्याप्त शैक्षिक उपलब्धि के विद्यार्थी को अगली कक्षा में चढ़ाने का परिणाम अच्छा नहीं रहा है। स्वयं की मेहनत से उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत 2011-12 में 84 था वह 2013-14 में घट कर 57 रह गया है। पंजाब का उदाहरण बताता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम गिरने के साथ परीक्षा में नकल करने की प्रवृति बढ़ी है। समाचार है कि कुछ विद्यार्थियों ने मानव संसाधन मंत्री को पत्र लिख कर सतत् व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को बंद करने की माँग की है। राजस्थान में शिक्षक, विद्यालय समय को बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं।

परिचर्चा

अनेक प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री को पत्र लिख कर, कक्षा 8 तक किसी को अनुत्तीण नहीं करने की नीति में बदलाव करने की माँग की है। उधर केन्द्रीय शिक्षा सचिव वृन्दा स्वरूप का कहना है कि सतत् एवं सघन मूल्यांकन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ ही कौशल विकास किया जा सकता है। शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जा सकता है। वृन्दा स्वरूप के अनुसार केन्द्र सरकार ने राज्यों को 33 उपाय सुझाए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का कहना है कि अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति तो अच्छी है मगर हमारे शिक्षक व विद्यालय इसे सही तरह लागू करने की स्थिति में नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री भी विद्यार्थी योग्यता आँकने हेतु कुछ करने को आतुर हैं। राजस्थान ने आदर्श विद्यालय में कक्षा 12 तक की शिक्षा एक ही संस्था प्रधान के अन्तर्गत कर शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयोग प्रारम्भ किया है।

वर्तमान में शिक्षा के अधिकार के उपरोक्त प्रावधानों का विरोध होने से ऐसा लगने लगा है कि शिक्षा का अधिकार एक दोराहे पर खड़ा है। यह तय किया जाना कि किस एक दिशा में जायें या अपनी कोई नई दिशा बनायें? केन्द्र सरकार नई शिक्षा नीति बनाने जा रही है। ऐसे अवसर पर शिक्षा के अधिकार विषय पर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत चिन्तकों के विचारों को जानने का प्रयास शैक्षिक मंथन ने किया है। यहाँ प्रस्तुत है उन्ही विचारों का सार संक्षेप तथा उनसे झाँकते संकेत - संपादक।

दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण नहीं करने का शिक्षा पर विपरीत प्रभाव हुआ है। दिल्ली के शिक्षा के आँकड़े बताते हैं कि 25 प्रतिशत विद्यार्थी अगली कक्षा में चढ़ाए जाने योग्य ग्रेड नहीं प्राप्त कर पाते फिर भी उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। उच्च कक्षाओं का परिणाम पीछे जाता जा रहा है। कक्षा 6 में अपने बल पर पास होने वालों का प्रतिशत सत्र 2011-12 में 83.9 था जो 2013-14 में गिरकर 57 हो गया। अन्य कक्षाओं में भी यही स्थिति दिखाई दी है। इस कारण दिल्ली का शिक्षा विभाग सोचता है कि किसी को अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति फिलहाल तो लाभ के स्थान पर हानि ही कर रही है। उनका सुझाव है कि कक्षा 4 में आने के बाद विद्यार्थी को सही ग्रेड लाने पर ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। श्री सिसोदिया ने कहा कि किसी को अनुत्तीर्ण नहीं करने का सिद्धान्त बहुत अच्छा है मगर दिल्ली सरकार के विद्यालय उस अच्छे सिद्धान्त को क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके लिए संसाधन जुटाने के साथ ही शिक्षकों को वैसा प्रशिक्षण भी देना होगा।

राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पंजाब की अध्यक्ष डॉ.तेजेन्द्र कौर धलिवाल का कहना है कि पंजाब में परीक्षाओं में बढ़ती नकल की प्रवृति का प्रमुख कारण गलत शिक्षा नीति है। कक्षा 8 तक कोई परीक्षा नहीं देने के कारण कक्षा 9 से परीक्षा देते समय बच्चों को परेशानी होती है। कक्षा आठ तक बिना परीक्षा आगे बढ़ाने की नीति सही नहीं है। कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के भय से विद्यार्थी नकल का सहारा लेता है और यह प्रवृति बोर्ड परीक्षा में नकल करने को प्रेरित करती है। डॉ.कौर का कहना है कि परीक्षा निश्चित तौर पर होनी चाहिए और आवश्यता होने पर विद्यार्थी को कक्षा 8 से पूर्व भी रोका जाना चाहिए।

महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का कहना है उनकी सरकार राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर शिक्षा के अधिकार के नए मानदण्ड तय करेगी। असर रिपोर्ट में महाराष्ट्र की छवि अच्छी नहीं उभरने के प्रश्न पर तावड़े का कहना है कि वे शिक्षा में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि शिक्षा निरन्तर परिवर्तनशील प्रक्रिया हैं। शिक्षा में परिवर्तन शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों द्वारा किए जाने चाहिए। राजनेताओं का कार्य तो उन्हें सुझाव देना ही है। वर्तमान में शिक्षाशास्त्री तो परीक्षा कराने में व्यस्त हो गए हैं, वे शिक्षा में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तावड़े विशेषज्ञों से सलाह कर एक राज्यस्तरीय परीक्षा बोर्ड गठित करना चाहते हैं जो स्नातक स्तर तक की परीक्षा की सभी जिम्मेदारियाँ निभा सके। शिक्षा के कानून के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार की अपेक्षायें तथा राज्य की मजबूरियों के विषय में तावड़े का मानना है कि केन्द्र ने कानून पूरे देश को ध्यान में रख कर बनाया। महाराष्ट्र की विशेष परिस्थितियों का उसमें ध्यान नहीं रखा गया। हम तीन वर्ष तक ही परिवर्तन का सुझाव दे सकते थे। अब नियम के दायरे में ही सुधार करना होगा। बच्चों को आध्यात्मिक बुद्धि विकास की ओर बढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा। आजकल सब कुछ बाजार आधारित है। बाजार माँग पर आधारित है। यदि प्रदेश की बहुसंख्य जनता मराठी में बात करेगी तो बाजार को भी मराठी बोलनी होगी।

श्रीमती नूतन बाला कपिला अभी राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा के जोधपुर संभाग की उपनिदेशक है। श्रीमती कपिला को अजीम प्रेमजी संस्थान द्वारा शिक्षा अधिकारियों के नेता के रूप में बेंगलुरु में प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया गया था। प्रशिक्षण में प्रमुख बिन्दु शिक्षा के अधिकार को उसकी सही भावना के अनुरूप लागू करना था। श्रीमती कपिला का कहना है कि शिक्षा का अधिकार बहुत इन्तजार के बाद मिला है। इसके सही उपयोग से ही प्रथम पीढ़ी के साक्षरों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। अब तक ऐसे बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पहले ही शिक्षा की दुनिया से दूर हो जाते थे। शिक्षा के अधिकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इससे जुड़े सभी लोग अपनी मानसिकता बदलें। बच्चे को पढ़ाने का प्रयास छोड़ कर, सीखने में बच्चों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा तक सभी को सही पढ़ना, लिखना आना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के सीखने की एक सी गति नहीं होती इस बात को समझ कर रणनीति बनाई जाने पर ही सफलता मिलेगी। शिक्षा को रोजगार मूलक बनाया जाना भी आवश्यक है। ऐसा होने पर शिक्षा का अधिकार कानून 2009 क्रान्तिकारी परिणाम देगा।

5000 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ पढ़े प्रतीक स्वैन व उनके साथियों का विचार है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन नई प्रणाली देश का इतना नुकसान करेगी कि आने वाले कई दशक उसकी भर पाई नहीं कर पायेंगे। इनका मानना है कि जिस प्रणाली को बच्चों का तनाव कम करने के नाम पर लाया गया उसने तनाव और बढ़ा दिया। बच्चों की समझ बढ़ने के स्थान पर कम हो रही है। पहले केवल टेस्ट की तैयारी करनी होती थी अब कक्षा कार्य, गृह कार्य व प्रोजेक्ट कार्य के कारण भार बहुत अधिक हो गया। नकल कर या विक्कीपीडिया से प्रिन्ट निकालने के कारण बच्चे के मस्तिष्क का कोई विकास नहीं होता। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन मात्र सुन्दर प्रस्तुति के आधार पर होता है। इस कारण वे इस प्रणाली से घृणा करते हैं। प्रतीक कहता है कि वह ही नहीं उसके अन्य साथी भी ऐसा ही सोचते है। अपनी बात का प्रमाण देते हुए प्रतीक बताते हैं कि एक बार विद्यालय में बच्चों से कहा गया कि शिक्षा मंत्री के नाम पत्र लिख कर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के विषय पर विचार प्रकट करें। प्रतीक के अनुसार अधिकांश बच्चों ने इतनी कटु आलोचना की कि विद्यालय प्रशासन ने किसी भी पत्र को आगे भेजने का साहस नहीं किया।

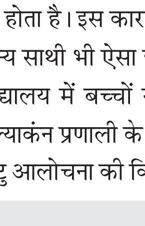

छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री श्री केदार कश्यप का कहना है कि कक्षा 8 तक हम किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं करते और कक्षा 9 में वह उत्तीर्ण नहीं होता। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसे चल सकती है। हमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसके माध्यम से विद्यार्थी के ज्ञान व रुझान को जाना जा सके। यह कार्य परीक्षा के माध्यम से हो या किसी अन्य विधि से हमें कुछ करना ही होगा। स्पष्ट चुनौती के अभाव में आज का किशोर ध्येयहीन है। उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। यह समाज के लिए उचित नहीं है।

पूर्व प्रधानाचार्य विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी का कहना है कि सतत् एवं सघन मूल्यांकन का विरोध कुछ मँहगे स्कूलों के द्वारा खड़ा किया गया शगूफा है। ये स्कूल ऊँची फीस लेकर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। समझ के बजाय रटने पर जोर होता है। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रमुख लक्ष्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाकर इंजिनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश करना होता है।

हमारी सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर ही चलती रही है। केवल कुछ हजार लोगों के लिए करोड़ों का भविष्य दाव पर लगाया जाता रहा है। हमारा देश आज भी शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जूझ रहा है। 'सतत् एवं सघन मूल्यांकन देश के आम विद्यार्थी को ध्यान में रख कर लाया गया है। विद्यार्थी रट्टू तोता बनने के बजाय किताबों की चार दीवारी से बाहर आकर सीखने की कोशिश करता है।' कोठारी आयोग ने बहुत पहले ही ऐसी अवधारणा देश के सामने रख दी थी। हमारी शिक्षा व्यवस्था को मैकालयी मानसिकता से बाहर निकालना है तो शिक्षकों को कुछ परिश्रम तो करना ही होगा।

मध्य प्रदेश के श्री विजयसिंह का कहना है कि शिक्षा का सही प्रबन्धन नहीं होना ही आज की सबसे बड़ी परेशानी है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की सभी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाली गई जबकि अभिभावक की जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर शिक्षक दिग्भ्रमित है अत: स्थितियाँ स्पष्ट होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार देना एक बात है और उसके लिए व्यवस्था करना दूसरी बात। कई क्षेत्रों में संसाधनों की कमी चिन्ताजनक है। सरकार की नीयत पर शँका प्रकट करते हुए विजयसिंह कहते हैं कि एक ओर सरकार शिक्षा के अधिकार की बात करती है और दूसरी ओर शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। मैकालयी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर भारतीय जीवन मूल्यों को पोषित करने वाली नई व्यापक शिक्षा नीति ही समस्याओं का समाधान कर सकती है। नई शिक्षा नीति के निर्माण में हो रही देरी पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियाँ उचित ही प्रतीत होती हैं-

समर शेष है नहीं अपराध का भागी केवल व्याघ्र।
जो तठस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास।।

सेवानिवृत जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. जयपुर, श्री रामपाल शर्मा का कहना है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का सकारात्मक प्रभाव रहा है, लोगों में जागरूकता आई है। क्रियान्वयन ठीक से नहीं होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। शिक्षा में जो ह्रास हो रहा है उसके लिए शिक्षा से जुड़े सभी अंगों को दोषी माना जाना चाहिए, विशेषरूप से सरकार की भूमिका ज्यादा है, उसे निदानात्मक सोच के साथ आधारभूत व्यवस्था भी देनी होगी तथा शिक्षकों को भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करना होगा तभी हमे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी सिर्फ असंतोष और दोषारोपण से इसे सुधार पाना संभव नहीं होगा।

निष्कर्ष –

उपरोक्त परिचर्चा से निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के सीधे विरोध में कोई नहीं है। समस्या उसके क्रियान्वयन को लेकर है। राज्यों के शिक्षा मंत्री से लेकर प्रतीक विद्यार्थी तक सभी संसाधनों की कमी के कारण ही शिक्षा के अधिकार 2009 का विरोध करते नजर आते हैं। आज आवश्यकता विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति के अन्तर को ध्यान में रख कर उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करने की है। शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय दबावों को झुठलाया नहीं जा सकता। विभिन्न देशों में सभी आधुनिक संसाधनों का उपयोग प्राथमिक स्तर की गणित का स्तर सुधारने हेतु किया जाने लगा है। अब हम पुराने तरीकों पर ही अटके नहीं रह सकते मगर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि सभी से एक ही स्तर की गणित की अपेक्षा की जावे। हमें उदार दृष्टिकोण अपना कर एक लचीली शिक्षा व्यवस्था अपनानी होगी जिसमें सभी के लिए आगे बढ़ने की सम्भावना हो। इसमें शिक्षक की अहम भूमिका होगी। आर्थिक नीतियों में चीन से मुकाबला करने की बात करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन में शिक्षा क्षेत्र में भी नए मानदण्ड स्थापित किए गए हैं। केवल राजनीतिक नारों से शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। हमें गम्भीरतापूर्वक ईमानदार प्रयास करने होंगे। अर्थशास्त्री डॉ.अरविन्द विरमानी का यह सुझाव सही लगता है कि नीति आयोग व राज्यों को मिलकर स्कूली शिक्षा पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। मानव संसाधन मंत्री को चाहिए कि वे शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-स्कूलिंग मंच विकसित करें।❑

शिक्षा का भारतीयकरण आज की आवश्यकता

❑ **डॉ. बद्रीलाल चौधरी**

डॉ. बद्रीलाल चौधरी से साक्षात्कार करते शैक्षिक मंथन के उपसम्पादक श्री विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी

*माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. बद्रीलाल चौधरी, पेशे से वनस्पति वैज्ञानिक है। वनस्पति शास्त्र के विविध क्षेत्रों में अनुसंधान करने के साथ ही विषय को बोधगम्य बनाने हेतु अंग्रेजी व हिन्दी में प्रचुर साहित्य रचना भी डॉ. चौधरी ने की है। मृदुभाषी तथा श्रम में विश्वास करने वाले चौधरी ने उदयपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में शिक्षा प्रशासन का भी अनुभव लिया है। राजस्थान सरकार ने अनुभवों का लाभ उठाने हेतु श्री चौधरी को प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पद सौंपा है। माध्यमिक शिक्षा की दिशा तय करने में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रमुख भूमिका होती है। वर्तमान सरकार की माध्यमिक शिक्षा से कई अपेक्षाएँ हैं। डॉ बद्रीलाल जी इन दिनों अपनी टीम के साथ सरकार व समाज की अपेक्षाओं को मूर्त करने में लगे हुए हैं। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में क्या कुछ घटित होने वाला है इसे जानने हेतु शैक्षिक मंथन की ओर से श्री विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी ने श्री चौधरी से बातचीत की थी। एक शिक्षाशास्त्री अपने विषय पर खुल कर बोल सकता है मगर शिक्षा प्रशासक को बहुत सम्भल कर बोलना होता है। यहाँ प्रस्तुत है डॉ. बद्रीलाल चौधरी से हुई वार्ता के प्रमुख अंश। – **संपादक***

मंथन-राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा की रीति-नीति तय करने वाले सर्वोच्च पद पर आपके आसीन होने पर शैक्षिक मंथन की बधाई। उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए आप, माध्यमिक शिक्षा के जिस उत्पाद का उपयोग करते थे अब उसके उत्पादन से जुड़ गए हैं तो कैसा लग रहा है? ऊपर बैठ कर आपने राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा के सबल व दुर्बल पक्षों को गौर से देखा होगा। उस समय क्या धारणा बनी थी ? अब दुर्बल पक्षों को बदलने या सबल पक्षों को मजबूत करने हेतु आप क्या कर रहे हैं?

साक्षात्कार

श्री चौधरी-बधाई के लिए धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से जुड़ने से पूर्व से ही बोर्ड के गौरवशाली अतीत की छवि मेरे मस्तिष्क में रही है। कुछ और सुधार करने का सपना है। सपना साकार करने का प्रयास जारी है।

मंथन- प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव के कारण विज्ञान प्रायोगिक कार्य थम सा गया है। प्रायोगिक कार्य की परीक्षा मात्र औपचारिकता रह गई है। प्रायोगिक कार्य की विश्सनीयता बहाल करने के लिए क्या किया जा रहा है?

श्री चौधरी-प्रायोगिक परीक्षा की विश्वसनीयता को बहाल करने के संयुक्त प्रयास करने होगें। राजस्थान सरकार और शिक्षा बोर्ड मिल कर ही कुछ कर सकेंगे। इसके लिए संवाद के प्रारम्भ किए हैं। इसमें शिक्षण संस्थानों और समाज का सहयोग भी आवश्यक है।

मंथन-सत्रांकों की विश्वसनीयता पर भी बहुत प्रश्न चिह्न लगे हैं। क्या इस विषय में भी कुछ किया जा रहा है?

श्री चौधरी-सत्रांक की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रधान की है। प्रतिस्पर्धा के युग में अच्छे परिणाम पाने के लिए संस्था प्रधान सत्रांक का अनुचित उपयोग कर लेते हैं। अनेक संस्था प्रधान, नैतिक दायित्व निभाने में क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा संत्राकों की सत्यता की जाँच करने पर विचार कर रहा है।

मंथन- वर्तमान में चल रही पाठ्यपुस्तकों को लेकर शिक्षकों, विद्यार्थियों में बहुत असन्तोष रहा है, क्या अब कोई सुधार की संभावना है ? यदि हाँ तो कब तक?

श्री चौधरी- बोर्ड द्वारा विभिन्न विषय समितियों का गठन कर दिया गया है।

पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा पाठ्यपुस्तकों के लेखन व प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आगामी सत्र (2016-17) से ही परिवर्तन सम्भव हो पाएगा।

मंथन- माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा को अपने आप में पूर्ण होना चाहिए ताकि माध्यमिक शिक्षा के बाद कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक कार्य क्षेत्र में जा सके। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा की तैयारी का चरण मान लिया गया है। क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा आयोग को पूर्ण बनाने की दिशा में कुछ सोच रहा है? यदि हाँ तो क्या सोच रहा है ?

श्री चौधरी- अभी तक माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा की तैयारी का ही एक चरण बनी हुई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसी सत्र (2015-16) से विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ कर दी है। माध्यमिक शिक्षा के बाद कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने वालों को इससे बहुत मदद मिलेगी ऐसी आशा है।

मंथन- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का पाठ्यक्रम आम बच्चों की समझ से अधिक महत्त्वाकांक्षी है। कुछ वर्ष पूर्व विश्व बैंक ने भी राजस्थान के विज्ञान व गणित पाठ्यक्रम को ऊपरी पाँच प्रतिशत के अनुरूप बताया था। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। क्या बोर्ड सरलीकरण की दिशा में कुछ करेगा?

श्री चौधरी-विषय समितियों को कहा गया है कि पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय विद्यार्थी की क्षमता का पूरा ध्यान रखा जावे साथ ही राजस्थान बोर्ड की पहचान भी सुरक्षित रखी जावे। विषय समितियों में विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों को पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे विद्यार्थी क्षमता व वर्तमान की आवश्यकता का सन्तुलन सम्भव हो सकेगा।

मंथन- शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यवहार गत परिवर्तन करना है। अच्छी पाठ्यचर्या से ही यह संभव है मगर पाठ्यक्रम बना कर ही इति श्री कर ली जाती है, क्या पाठ्यचर्या विकास पर कोई कार्य हो रहा है?

श्री चौधरी- शिक्षण या अध्यापन स्कूलों का विषय है। इस विषय पर राज्य सरकार और बोर्ड मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। राज्य सरकार के सहयोग से प्रशिक्षण की योजना बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस विषय में बोर्ड ने अपने स्तर पर कोई प्रयास प्रारम्भ नहीं किया है।

मंथन-शाश्वत जीवन मूल्यों का विलोप आज की सबसे बड़ी परेशानी है। सही शिक्षा के साथ ही शाश्वत जीवन मूल्यों का विकास संभव होता है। इस विषय में क्या कोई कार्य हो रहा है?

श्री चौधरी- शाश्वत जीवन मूल्य समाज का आईना है। आज सम्पूर्ण समाज पाश्चात्य वैभव की ओर आकर्षित है। किसी भी तरह धन कमाना ही आज की प्राथमिकता दिखाई देती है। ऐसे में केवल अध्यापन या पाठ्यक्रम निर्माण से इस उद्देश्य को हासिल करना कठिन है। सम्पूर्ण समाज को जीवन मूल्यों को संधारित करने का प्रयास करना होगा। शाश्वत जीवन मूल्यों का संवर्धन सभी का दायित्व है।

मंथन- मेक इन इण्डिया की बात कही जा रही है और शिक्षा से कौशल विकास की आशा की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कौशल विकास के अब तक के सभी प्रयास असफल रहे हैं क्या कोई नया विचार चल रहा है?

श्री चौधरी- युवाओं की सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। युवाओं की मानसिकता ऐसी बनाई जानी चाहिए कि वे कार्य कुशलता को प्राथमिक दें। ऐसा होने पर ही मेक इन इण्डिया का सपना साकार हो सकता है। इसके बिना यह सम्भव नहीं लगता। बोर्ड सोच बदलने का प्रयास करेगा।

मंथन-योग शिक्षा, स्वच्छता आदि को शिक्षा से जोड़ना आज की आवश्यकता बन गई है। क्या माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कुछ किया जा रहा है?

श्री चौधरी- योग व स्वच्छता आज की आवश्यकता है किन्तु क्रियान्वयन स्कूल स्तर पर सरकारी दिशा निर्देशों की पालना पर ही निर्भर करेगा।

मंथन- प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम तथा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह संस्कृति के लिए घातक है, क्या इसे रोकने का कोई प्रयास हो रहा है?

श्री चौधरी- यह सही बात है कि प्रदेश के विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने तथा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेने की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ रही है। यह अच्छी बात नहीं है। हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम का बढ़ना केन्द्र व राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। पढ़ लिख कर बच्चे नौकरी चाहते हैं। विभिन्न सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं व साक्षात्कार में जिस भाषा का बोलबाला होगा उसी की ओर लोग आकर्षित होंगे। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेने के पीछे भी ऐसी ही मानसिकता है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड में परीक्षा में अधिक अंक लाना आसान है। ऐसा दोषपूर्ण नीति के कारण है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को इस पर विचार करना चाहिए।

मंथन- देश में शिक्षा के स्वरूप का भारतीयकरण होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं?

श्री चौधरी- शिक्षा के स्वरूप का भारतीयकरण होना आज की आवश्यकता

है मगर आज के माहौल में इस लक्ष्य को प्राप्त करना दूर का सपना लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें निराश होकर प्रयास छोड़ देना चाहिए। वस्तुस्थिति तो यह है कि कई संस्थान शिक्षा के भारतीयकरण के लिए अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देश की विशालता के सन्दर्भ में यह गति धीमी लगती है। इन संस्थानों को आपसी विचार-विमर्श के लिए उचित मंच तैयार करना चाहिए। ऐसे संस्थानों के पास संसाधनों की समुचित उपलब्धता नहीं होने के कारण भी शिक्षा के भारतीयकरण की गति नहीं बन पा रही है।

मंथन- नये वैकल्पिक विषय खोलने पर उदारता बरतने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान क्या सोच रखता है?

श्री चौधरी- नये वैकल्पिक विषय खोलना सतत् प्रक्रिया होती है। इसके लिए संसाधनों व विषय अध्यापकों की उपलब्धता होना आवश्यक है। संसाधन सरकार उपलब्ध कराती है। अतः सरकार की नीति पर यह निर्भर करता है।

मंथन- आज स्थिति बदल गई है। निजी शिक्षा संस्थानों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। बोर्ड में विषय नहीं होने के कारण वे भी नए विषय नहीं खोल पाते।

श्री चौधरी- सही है कि निजी विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। आज की आवश्यकता के अनुसार नए विषय भी अध्ययन हेतु बन रहे हैं मगर राजस्थान में अभी ऐसी माँग नहीं बन पाई है। कुछ विषय बोर्ड ने प्रारम्भ किए मगर उनका अध्ययन करने वालों की संख्या 100 का आँकड़ा भी नहीं छू पाई है। यदि कोई प्रस्ताव शिक्षण संस्थाओं की ओर से आता है तो उस पर विचार किया जाएगा।

मंथन- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अन्य नई योजनायें क्या हैं?

श्री चौधरी- मध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग करना हमारी प्राथमिकता है। ऐसा करने से कार्य में निपुणता आएगी। उसका लाभ विद्यार्थियों व अभिभावकों को मिल सकेगा।

मंथन- आपको अनुसंधान व हिन्दी में विज्ञान लेखन का दीर्घ अनुभव है क्या इसका लाभ राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा जगत् को मिल सकेगा?

श्री चौधरी- हिन्दी में विज्ञान लेखन हमारे देश की आवश्यकता है। मैने अपना योगदान करने का प्रयास निरन्तर किया है। इस पद की मर्यादाओं को निभाते हुए जो भी अवसर मिलेगा मैं उसका सदुपयोग करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। ❑

हमें नहीं चाहिए शिक्षा का ऐसा अधिकार - श्यामबहादुर 'नम्र'

हमें नहीं चाहिए शिक्षा का ऐसा अधिकार,
जो गैर-जरूरी बातें जबरन सिखाये ।
हमारी जरूरतों के अनुसार सीखने पर पाबन्दी लगाये,
हमें नहीं चाहिए ऐसा स्कूल
जहाँ जाकर जीवन के हुनर जाएँ भूल।
हमें नहीं चाहिए ऐसी किताब
जिसमें न मिलें हमारे सवालों के जवाब
हम क्यों पढ़ें वह गणित,
जो न कर सके जिन्दगी का सही-सही हिसाब।
क्यों पढ़ें पर्यावरण के ऐसे पाठ
जो आँगन के सूखते वृक्ष का इलाज न बताये॥
गाँव में फैले मलेरिया को न रोक पाये
क्यों पढ़ें ऐसा विज्ञान,
जो शान्त न कर सके हमारी जिज्ञासा ।
जीवन में जो समझ में न आये,
क्यों पढ़ें वह भाषा ।
हम क्यों पढ़ें वह इतिहास जो
धार्मिक उन्माद बढ़ायें
नफरत का बीज बोकर,
आपसी भाई-चारा घटाये।
हम क्यों पढ़ें ऐसी पढ़ाई जो
कब कैसे काम आएगी,
न जाए बताई ।
परीक्षा के बाद, न रहे याद,
हुनर से काट कर जवानी कर दे बरबाद ।
हमें चाहिए शिक्षा का अधिकार,
हमें चाहिए सीखने के अवसर
हमें चाहिए किताबें,
हमें चाहिए स्कूल।
लेकिन जो हमें चाहिए
हमसे पूछ कर दीजिए।
उनसे पूछ कर नहीं जो
हमें कच्चा माल समझते हैं।
स्कूल की मशीन में ठोक-पीटकर
व्यवस्था के पुर्जे में बदलते हैं,
हमें नहीं चाहिए शिक्षा का
ऐसा अधिकार जो
गैर जरूरी बातें जबरन सिखाये
हमारी जरूरतों के अनुसार
सीखने पर पाबन्दी लगाये ।

Systemic Change is Key to School Education Reforms

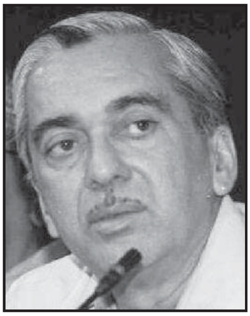

Priorities in education reforms must be articulated around the transformation of the lethargic, unconcerned, unempathetic and change-resistant bureaucratic system. Effective systemic change is the first prerequisite to ensure even partial fulfillment of the reforms that may emerge from the new policy formulation. Sharp demarcation of accountability must now be made. So long as children suffer inadequacies in learning process, national progress shall remain retarded.

❑ **J.S. Rajput**

India is on the threshold of formulating a new policy on education. The last comprehensive policy formulation exercise was conducted in 1986. This was hurriedly redone in 1992. The present National Policy on Education is generally referred to as NPE-86/92. A massive exercise of analysing over 10,000 inputs received from various sources in the country was conducted. The 'challenges in education' document, published by the Union ministry, gave a realistic description of the state of Indian education at that point of time. It clearly emerged that education never received the priority or resources it deserved and, consequently, its implementation was poor. The 'Programme of Action' developed for the implementation of the NPE-86 visualised certain schemes that had the potential to transform the face of the school education system. 'Why it did not happen on expected lines and levels' deserves a thorough scrutiny at the pre-policy formulation stage in 2015. The imperative is not to ignore the gains in certain areas and aspects. The scheme of Navodaya Vidyalayas envisaged at that stage has indeed proved rewarding in nurturing talented children from rural areas. One wishes every school in the country is patterned on the lines of Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas. Both of these, in spite of inadequacies, have established public credibility of high order. If these are multiplied, the rush to high-fee charging 'public schools' that are creating social bifurcations can be checked. Private entrepreneurs enter education sector because of 'assured high dividends'. Knowingly or unknowingly, it contributes to the neglect of the public education system. All the

talk about 'not for profit' provision is just too transparent a façade. Several school managements are willing to pay taxes provided these are permitted to earn reasonable profits, which they are earning anyway, but cannot pay taxes as the rules do not permit it. Can the new education policy ignore this?

Two major initiatives the Operation Blackboard (OB) and the District Institutes of Education and Training (DIETs), launched post-1986—could also be recalled as learning experiences for future. All primary schools run by state governments were assisted by the Central government in providing teaching-learning equipment, extra room and extra teacher. Equipment purchases were made at state level and most of these resulted in large-scale scandals and inquiries. Further, teachers were unwilling to use the items, apprehensive that the cost of the items lost could be recovered from their salaries. Second teachers appointed under Central funding in single-teacher schools rarely reached there as they managed postings at the place of their choice. On record, the scheme was a great success, but in reality, it just could not effectively contribute to quality and credibility of primary schools.

DIETs were established to prepare quality teachers for elementary schools. Central government offered generous funding for additional manpower, buildings, equipment, library and laboratories. State governments were quick to recruit support staff but for academic positions, they hired teachers on deputation. Over the years, these schemes were further strengthened from the Central government side but the state governments, exceptions apart, remained indifferent. In spite of repeated assurances given, the argument put forward was: "These are Five-year Plan schemes and state government would not be in a position to bear the financial burden after five years." Education being in the concurrent list, one often comes across the blame-game between Central and state governments.

Priorities in education reforms must be articulated around the transformation of the lethargic, unconcerned, un-empathetic and change-resistant bureaucratic system. Effective systemic change is the first pre-requisite to ensure even partial fulfillment of the reforms that may emerge from the new policy formulation. Sharp demarcation of accountability must now be made. So long as children suffer inadequacies in learning process, national progress shall remain retarded. ❑

(Former Director of the NCERT)

CABE to meet on July 18 to discuss new education policy

The newly-reconstituted CABE, the highest advisory body on education in the country, is expected to meet on July 18, the main agenda of which could be deliberation on the new education policy and consideration of a report on no-detention policy up to class VIII.

Officials in the HRD Ministry said the states have been asked to give their suggestions before the finalisation of the agenda report, the last date of which is July 8.

The focus would, however, be on the new education policy and the states participation, as for the first time views of stakeholders from across the spectrum are being taken, they said.

All the reports of the sub-committee prepared by the previous body of the Central Advisory Board of Education (CABE) would also be taken up for consideration.

These include a sub-committee report prepared under the then Haryana education minister Geeta Bukkal about no-detention policy and its impact on learning outcome in classes.

While the report has favoured doing away the policy introduced under RTE which entails automatic class promotion, the Ministry has remained silent on the issue so far, stating that CABE would take it for consideration.

While some states have already removed the provision, Delhi deputy chief ministerManish Sisodia is learnt to have requested HRD Minister Smriti Irani earlier this week for the removal of the policy.

CABE was reconstituted on June 11, with 19 nominated members from different fields, apart from ex-officio members, various union ministers and vice-chancellors of different universities.

Anirban Ganguly, Director of Shyama Prasad Mookherjee Research Foundation, a BJP outfit, and actress Swarup Sampat, wife of BJP MP from Ahmedabad (East) Paresh Rawal are notable nominated members in the body, which is headed by HRD Minister Smriti Irani.

Right to Education Act 2009 : Challenges to Implement

❑ **Dr. A. K. Gupta**

Right to education act 2009 is an important tool to provide free and compulsory education to every child in the age group of 6- 14 years (Approx 22 crores) in the country. A sharp drop out (approx. 53%) was observed after primary school education before children could enter into further studies. This particular issue motivated for formulation of this act. Simultaneously lack of basic facilities were also observed e.g. toilets and sanitation, safe drinking water etc. Other points observed include high teacher-pupil ratio, lack of class rooms/ buildings. It is estimated that 6% of GDP is required to maintain basic amenities in the education sector for this age group. A surcharge of 2% was imposed to cover this deficiency. Intervention of Supreme Court by issuing notices to state and central governments forced them to think about the issue considering that employment and continuing / compulsory education should be taken as two sides of the coin.

Any cost that prevents a child from accessing school will be borne by the state which will have responsibility of enrolling the child as well ensuring the attendance, no reason (may be admission test or physical disability etc) what so ever should be excused for this target.

To ensure this target Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and Mid Day Meal were introduced. As per article 21A in the Indian Constitution Education is a fundamental right. The act was implemented in the year 2009. With the right to education act into force, India has joined the a group of 130 countries. Different countries provide free and compulsory education in different age groups.

Main Features of the Act:-

Every child in the age group of 6-14 has right to free and compulsory education in a neighborhood school, till the completion of elementary education. Private School will have to take 25% of their class strength a by random selection process. Government will fund education of these children. No donation and capitation fee is allowed. No admission test or interview either for child or parents is allowed. No child can be held back, expelled and required to pass the board examination till the completion of elementary education. There is provision for establishment of commissions to supervise the implementation of the act. A fixed student and teacher ratio is to be maintained. All schools have to adhere to rules and regulations laid down in this

important aspect is how interested parents of the poor kids are to send them to the private schools even if the education is free of cost. This will certainly be traumatic for poor kids to cope up with that. Moreover what about the overhead expenses such as uniform, books, stationery etc of attending a private school. In short the bill guarantees for admission of the children, but does not promise quality of education. The act stipulates assignment of a class to the child according to his/her age without any bridge course to make up the studies. Automatic promotion to next class may be counter-productive. This can promote indolence and insincerity among students and carelessness among teachers.

act, failing which the school will not be allowed to function. Three years moratorium period has been provided to school to implement all that is required of them. Norms for teachers training and qualifications are also clearly mentioned in the act. Experience is the extract of sufferings. All schools except private unaided schools are to be managed by school management committees with 75% of parents and guardians as members.

National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has been mandated to monitor the implementation of this historic right. NCPCR also invites all civil society groups, students, teachers, administrators, artists, writers, Government personnel, legislators, members of the Judiciary to ensure that every child of this country is in school and enabled to get quality education for period.

As per estimate Rs 171000 crore funds will be required in the next five years, which state centre governments have agreed to share in the ratio of 45-55%. World bank has announced two education projects worth a total of $ 1.05 billion for India.

However there is no provision for a child in the age group 0-6 and between 14 to 18 years of age. The age group of 0-6 years can further be divided into two groups namely 0-3 and 3-6 years. One group in the age in between 14 to 18 years can be dealt with separately. Reasons for sub dividing is natural growth of a child between 0-3 is dealt with more differently than a child between the age group of 3-6 years. Requirements for a child in the age group of 14 to 18 years remain altogether different. The act excludes 157 million children below six years and between 15-18 years age group. For a child 0-6 years age is considered to be formative thus it is important to include this age group.

Morever the act does not make provision for disabled or physically challenged children. Another challenge is to meet requirement of trained and qualified teachers. To get trained and qualified teachers within stipulated time period prove to be herculean task but appears to be almost impossible. Shortage of trained and qualified teachers is greater challenge, which may be solved partly by relaxing the time period to acquire necessary targets. Qualifications of a teacher for different classes fix up definition of teaching eligibility. Reservation of seats in unaided private schools still remains a challenge. The act talks about 25% seat reservation in private/ public unaided schools for lesser privileged children. There will be wide gap between cost of education per child and reimbursement by the state government. For a certain class of society who provides education to their children in these private schools already by stretching their means this extra burden might prove too much.

Another important aspect is how interested parents of the poor kids are to send them to the private schools even if the education is free of cost. This will certainly be traumatic for poor kids to cope up with that. Moreover what about the overhead expenses such as uniform, books, stationery etc of attending a private school. In short the bill guarantees for admission of the children, but does not promise quality of education. The act stipulates assignment of a class to the child according to his/her age without any bridge course to make up the studies. Automatic promotion to next class may be counterproductive. This can promote indolence and insincerity among students and carelessness among teachers.

Recognition of school and role of school management committee are also under question mark since many meritorious criteria are left without any due consideration.

Incentives to promote the schemes:-

Children in this age group are considered to support the family for financial contribution as t hey are expected to earn, The scheme should be so planned so as to provide them an opportunity to learn and earn. The student should be provided mid day meal facilities, however this work should be assigned to some agency which is not directly connected to the teaching.

A certain group should own responsibility to run the system, local authorities should be directly or indirectly connected with this. Since teachers are back bone of the scheme they should be given responsibility to run the show and at the same time upgrade their skills so as to cater the society in a better way.

The whole group associated should be exposed in proper manner to advanced technology e.g. computers, satellite technology etc. An expert is a human who does not have all the answers, but is sure that given enough money answers can be found. Education must teach the student his duty in life. Duty begins where natural necessities end. Things taught in colleges and schools are not an education but means of education. More and more emphasis should be on character building so as to serve the society for bright future for themselves and the nation. ❑

(Prof. Structural Engineering Dept. JNV University, Jodhpur)

भारतीय परिवेश के अनुकूल बने, शिक्षा अधिनियम

‘सभी के लिए शिक्षा’ के प्रयास सार्थक नहीं होने का कारण छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन भी है। कई प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही शिक्षक द्वारा चलाये जा रहे हैं। यहाँ शिक्षण कार्य पूर्ण होना सम्भव नहीं होता, अतः विद्यार्थियों का परिणाम बिगड़ने पर, आठवीं कक्षा तक विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किये जाने का प्रावधान, उन्हें अग्रिम कक्षा में क्रमोन्नत करने का विकल्प प्रदान करता है। आठवीं कक्षा तक बिना शिक्षण के उत्तीर्ण विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के योग्य नहीं होता। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर 50 प्रतिशत विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट होता है। वहीं दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाओं में सरकारी विद्यालयों के परिणाम निजी विद्यालयों की तुलना में बहुत पीछे रहते हैं।

❑ डॉ. रेखा भट्ट

भारत में उत्तर वैदिक काल से ही शिक्षा प्रणाली अत्यन्त सुव्यवस्थित रही है । यहाँ शिक्षा का उद्देश्य अविद्या (दुःख का कारण) को दूर करना तथा विद्या (सुख का पर्याय) को प्राप्त करना रहा है। भारत में शिक्षा, मस्तिष्क एवं हृदय की ग्रन्थियाँ खोलने का माध्यम रही है किन्तु अंग्रेजों के शासन काल से मैकॉले शिक्षा मात्र रोजगार प्राप्त करने का साधन बन गई।

शिक्षा प्राप्त करना, बच्चों के साथ-साथ प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक वर्ग के लोगों का अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करना व शिक्षा देना, स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है, किसी नियम या कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को योग्य व स्वावलम्बी बनाना सम्भव नहीं। इसके लिए लचर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना अत्यन्त आवश्यक है।

मानव अधिकार के अन्तर्गत, ‘सभी को शिक्षा का अधिकार’ अधिनियम बना तथा कुछ देशों में भौतिक साधनों की उपलब्धता और सीमित विद्यार्थियों की संख्या के उपरान्त भी प्रत्येक बच्चे की निर्धारित उम्र में विद्यालय तक पहुँच नहीं होने के कारण इस अधिनियम को लागू किया गया एवं इसका क्रियान्वयन भी किया गया। भारत में यह 2009 में लागू किया गया, किन्तु यह महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है।

शिक्षा की अनिवार्यता का अधिनियम, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का विद्यालय में नामांकन करवाने तक ही सीमित है। सरकारी विद्यालयों में कक्षा आठवीं तक भी विद्यार्थी मात्र अक्षर ज्ञान ही प्राप्त कर पाता है। संचार क्रान्ति के दौरान तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण में ये विद्यार्थी प्रारम्भिक स्तर पर ही पिछड़ जाते हैं। अतः वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ये अधिनियम सक्षम नहीं है।

सभी को शिक्षा उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से गत वर्षों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में भी विद्यालय खोले गये हैं किन्तु इन विद्यालयों में आधारभूत शैक्षणिक परिवेश का अभाव रहता है। साथ ही शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण, विद्यार्थी जीविकोपार्जन के कार्यों को छोड़कर विद्यालय जाने को प्राथमिकता नहीं देते। इन परिस्थितियों में विद्यालय में विद्यार्थी के ठहराव

को सुनिश्चित करने के दो विकल्प रखे गये – पहला विकल्प, पोषाहार कार्यक्रम। किन्तु विद्यार्थी के स्वास्थ्य सम्बन्धी पोषण कार्य में शिक्षण कार्य बाधित होता रहा है। दूसरा विकल्प है, विद्यालय में भय व तनावमुक्त वातावरण बनाये रखने के लिए किसी भी तरह के दण्ड को प्रतिबन्धित किया जाना। यह परिस्थिति विद्यार्थी को सभी प्रकार के अनुशासन व नियमों से मुक्त रखती है। ये दोनों ही विकल्प विद्यार्थी के लिए विद्यालय को रुचिकर एवं लाभप्रद स्थान बनाने में विफल रहे हैं।

'सभी के लिए शिक्षा' के प्रयास सार्थक नहीं होने का कारण छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन भी है। कई प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही शिक्षक द्वारा चलाये जा रहे हैं। यहाँ शिक्षण कार्य पूर्ण होना सम्भव नहीं होता, अत: विद्यार्थियों का परिणाम बिगड़ने पर, आठवीं कक्षा तक विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किये जाने का प्रावधान, उन्हें अग्रिम कक्षा में क्रमोन्नत करने का विकल्प प्रदान करता है। आठवीं कक्षा तक बिना शिक्षण के उत्तीर्ण विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के योग्य नहीं होता। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर 50 प्रतिशत विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट होता है। वहीं दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाओं में सरकारी विद्यालयों के परिणाम निजी विद्यालयों की तुलना में बहुत पीछे रहते हैं। सरकारी व निजी क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षण स्तर में बहुत बड़ा अन्तर है, जो सभी वर्गों के लिए समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को साकार नहीं कर सका है।

शिक्षा के प्रारम्भिक वर्षों में ही विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को पहचान कर विविध क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त कर सकता है, किन्तु सरकारी विद्यालयों में समुचित शिक्षण के अभाव में उनके आत्मनिर्भर बनने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में स्तरीय स्थान नहीं पा सकने के कारण विद्यार्थी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की

पात्रता नहीं रखते, इससे उनके रोजगार के अवसर भी समाप्त हो जाते हैं।

आठवीं कक्षा तक विद्यालयों में शैक्षणिक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा विकसित करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। शिक्षा के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया द्वारा 14 वर्ष की आयु तक विद्यार्थी में रचनात्मकता, कार्यकुशलता और सृजनशीलता का विकास किया जा सकता है। उन्हें स्वावलम्बन हेतु प्रेरित करने के लिए ही बालश्रम कानून में भी संशोधन किया गया है और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके पुश्तैनी कार्यों में हाथ बँटाने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार वे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हुए विद्यालयों में शिक्षा के लिए उन्मुख होंगे।

उच्च प्राथमिक शिक्षा में परम्परागत सैद्धान्तिक शिक्षण पद्धति को व्यावहारिक बनाने के लिए इसे चर्चा एवं आपसी विमर्श पर आधारित बनाया जाए। इसमें अधिक से अधिक क्रियात्मक कार्यों को शामिल किया जाए। इस पद्धति से विद्यार्थी के पढ़ने–लिखने के अतिरिक्त स्वयं को अभिव्यक्त करने, संवाद करने, सामूहिक गतिविधियों में समायोजन करने जैसे कौशल भी विकसित होंगे। निर्धारित गतिविधियों द्वारा विद्यार्थी के कार्य योजना के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन का त्वरित परीक्षण व समीक्षा विद्यार्थी की कमियाँ दूर करने एवं उन्हें सुधार करने की क्षमता प्रदान करेगी। इस विधि से विद्यार्थी को वर्ष पर्यन्त चलने वाले मूल्यांकन के तनाव से मुक्ति मिलेगी।

विद्यार्थियों के लिए निर्धारित कार्यों के मापदण्ड उनकी आयु व क्षमता के अनुरूप हो, वे अभिभावक या अन्य माध्यमों पर निर्भर न रहें। इस प्रकार उन्हें स्वयं समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास होगा। शिक्षक विद्यार्थी को जानकारी जुटाने व क्रियाविधि ज्ञात करने में सहयोग करें तो विद्यार्थी गृह कार्य के दबाव एवं ट्यूशन के बोझ से मुक्त होगा।

प्रारम्भिक स्तर पर ही विद्यार्थी को अपने दैनिक जीवन में उपयोगी प्रकृति, प्राकृतिक साधन, गाँव एवं ग्रामीण संस्कृति से परिचित कराना होगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर भारतीय परिवेश के अनुसार विद्यार्थी के समुचित विकास को केन्द्रित करते हुए, शिक्षा पद्धति में सुधार आवश्यक है। प्रारम्भिक अवस्था में शिक्षण द्वारा सही दिशा मिलने पर, विद्यार्थी समाज की प्रगति हेतु कार्य करेगा और उसके अन्दर राष्ट्र हित में सहयोग का व्यापक दृष्टिकोण विकसित होगा। ❑

(व्याख्याता (रसायन शास्त्र), राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान)

शिक्षा अधिकार केआईने में प्राथमिक शिक्षा

शिक्षा क्षेत्र में जिस तरह से बाजारीकरण और निजीकरण बढ़ा है, उसने अमीर-गरीब के बीच की खाई चौड़ी कर दी है। समान स्कूल प्रणाली तो बहुत पीछे छूट गई। जून 2006 में योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो दृष्टि पत्र जारी किया उसमें अचानक बगैर किसी विमर्श के स्कूल वाउचर प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया। वाउचर प्रणाली क्या है? उसके अनुसार कमजोर तबके के बच्चों को वाउचर दिए जायेंगे, जिसको लेकर ये बच्चे किसी स्कूल में प्रवेश पा ले उसकी शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। मुझे तो ये सारी गतिविधियाँ भी निजीकरण की नीति को प्रोत्साहित करने के ही टोटके लगते हैं। इस प्रणाली से निजी स्कूलों को पिछले दरवाजे से सरकारी धन उपलब्ध कराने और वैश्विक बाजार को संतुष्ट करने की एक सोची-समझी नीति लगती है।

❑ **बजरंगी सिंह**

एक गैर सरकारी संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर कहा कि ढाँचागत और बुनियादी कमियों से जूझ रही शिक्षा व्यवस्था के कारण शिक्षा के अधिकार के अमल में बाधा आ रही है। इससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देश भर में स्कूलों और शिक्षकों की भारी कमी है। जबकि सब को शिक्षा का अधिकार दिलाने के उद्देश्य के तहत कहा गया था कि 31 मार्च 2013 तक तमाम ढाँचागत कमियाँ दूर कर ली जायेंगी। आज भी पूरे देश में करीब 1.5 लाख स्कूलों और करीब 12 लाख शिक्षकों की कमी बनी हुई है। उसके कारण ही लगभग 3.80 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। याचिका के माध्यम से इन कमियों को दूर करने की माँग की गई-केन्द्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाये कि वे प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करें और स्कूलों का निर्माण कराकर उनमें ढाँचागत संसाधन उपलब्ध कराए ताकि शिक्षा के अधिकार को सभी वर्गों के बच्चों को उपलब्ध कराया जा सके।

आज भी देश के कई राज्यों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ करीब 200 बच्चों पर एक शिक्षक उपलब्ध है, तो कहीं 60 बच्चों पर तीन-तीन शिक्षक उपलब्ध हैं। ऐसे भी स्कूल है जहाँ एक भी अध्यापक नियुक्त नहीं है। स्कूलों की दोष पूर्ण संरचना और उनमें शौचालय तक का न होना भी सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों के रुझान को कम करता है। देश में लगातार सरकारी स्कूलों की नामांकन दर में भी कमी आती जा रही है। वर्ष 2011 के आँकड़ों के अनुसार 3.45 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूलों में नामांकित नहीं हुए थे। यह आँकड़ा 2012-13 में बढ़कर 3.77 करोड़ हो गया है। देश में 41 प्रतिशत ड्रॉप आउट का आंकड़ा है। कहने को तो सरकार ने आरटीई लागू किया किन्तु उसका पूरी तरह पालन किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला न मिलने के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करता है। उसका परिणाम रहा कि यह मुद्दा ही गौण हो गया है। इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि इस प्रावधान का कितने गरीब बच्चों को लाभ मिला है। जाहिर है कि विधेयक में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान का न तो शिक्षा के अधिकार से कोई मतलब है, न समान स्कूल प्रणाली से और न ही 85वें संशोधन के अनुरूप

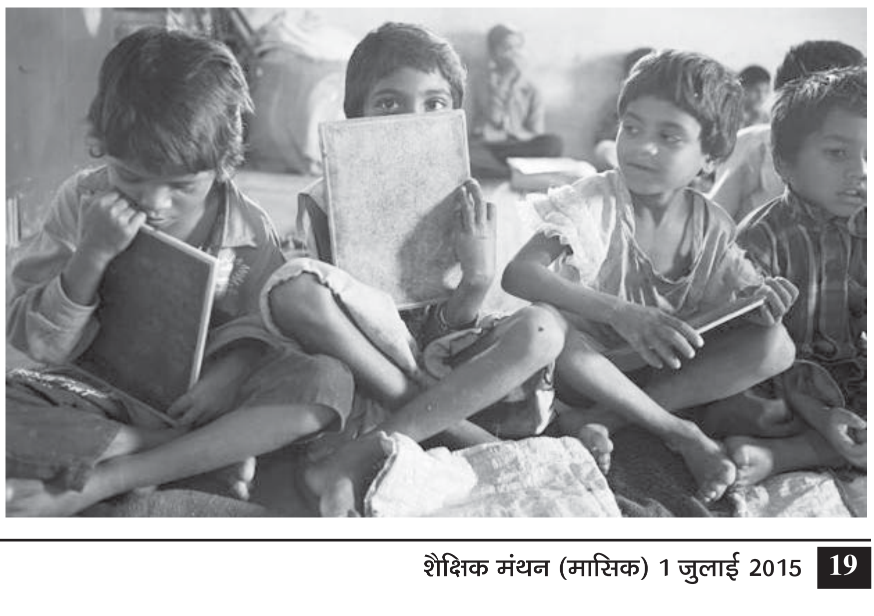

शिक्षा प्रणाली के पुन: निर्माण से। फिर भी दावा यह है कि मौलिक अधिकार का दारोमदार इसी 25 प्रतिशत आरक्षण में है। शायद इसीलिए यह व्यवस्था शुरू की गई कि इससे निजीकरण तथा बाजारीकरण की रफ्तार तेज हो जायेगी।

आरटीई को लागू हुए आज 5 वर्ष हो गये हैं, फिर भी 60 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। भारत में शिक्षा की समानता की बातें वर्षों पहले कही गई थी। लेकिन सभी कोशिशें शिक्षा की तमाम पर्तें बनाने वाली ही रही। हम अभी प्राथमिक शिक्षा के शैशव काल से गुजर रहे हैं। हम बच्चों के 100 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। नेशनल सर्वे के मुताबिक 60 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित है। ऐसे में कृष्ण-सुदामा कैसे एक साथ पढ़ेंगे। यह कल्पना आज कहीं जमीन पर नहीं हैं। गरीब के लिए अलग स्कूल अमीर के लिए अलग स्कूल, हम बराबर पढ़ाते जा रहे हैं। एक साथ अमीर-गरीब के बच्चे टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ने और शिक्षा हासिल करने की संकल्पना तो शायद कहीं गुम हो गई है। शिक्षा क्षेत्र में जिस तरह से बाजारीकरण और निजीकरण बढ़ा है, उसने अमीर-गरीब के बीच की खाई चौड़ी कर दी है। समान स्कूल प्रणाली तो बहुत पीछे छूट गई।

जून 2006 में योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो दृष्टि पत्र जारी किया उसमें अचानक बगैर किसी विमर्श के स्कूल वाउचर प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया। वाउचर प्रणाली क्या है? उसके अनुसार कमजोर तबके के बच्चों को वाउचर दिए जायेंगे, जिसको लेकर ये बच्चे किसी स्कूल में प्रवेश पा ले उसकी शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। मुझे तो ये सारी गतिविधियाँ भी निजीकरण की नीति को प्रोत्साहित करने के ही टोटके लगते हैं।

इस प्रणाली से निजी स्कूलों को पिछले दरवाजे से सरकारी धन उपलब्ध कराने और वैश्विक बाजार को संतुष्ट करने की एक सोची-समझी नीति लगती है।

शिक्षा का उद्देश्य स्वावलम्बी बनाना था। इसीलिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण हो, जिससे हर कोई आत्मनिर्भर बन सकें। हम इस दिशा में दो कदम भी अभी तक नहीं बढ़ पाये। हमारी प्राचीन शिक्षा ऐसी थी जिसमें स्कूल से निकला छात्र खुद अपने पैर पर खड़ा हो कर आजीवन जीवकोपार्जन कर सकता था किन्तु आज विकास एवं तरक्की के नाम पर हम एक मशीन बन कर रह गए हैं। जो शिक्षा सर्वे भवन्तु सुखिन: भवन्ति का पाठ पढाती थी। आज वही पेट भरने का साधन भी नहीं बन पा रही है। उल्टे भेद-भाव एवं अमीर-गरीब को बढ़ावा दे रही है।

तक्षशिला, नालन्दा जैसे गुरु-शिष्य संस्कृति परम्परा वाले देश में इन दिनों बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में पाँच सितारा सुविधा एवं संस्कृतिमुक्त रिहायशी-गैर रिहायशी स्कूलों की स्थापना धड़ल्ले से हो रही है। विद्यार्जन का माध्यम अब धनोपार्जन का स्रोत बन गया है लगातार कई औद्योगिक घरानों, पूंजीपतियों तथा निजी स्कूल समूहों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति एवं अत्याधुनिक सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण लाभकारी स्कूलों की स्थापना बराबर की जा रही है। वातानुकूलित 21वीं सदी के आधुनिक अध्यापन, अध्ययन तकनीक परिपूर्ण संचार माध्यमों वाले इन स्कूलों में अमूमन पूंजीपति, उद्योगपति, व्यवसायी, राजनेता एवं नौकरशाहों के नौनिहाल ही पढ़ने की सामर्थ्य रखते हैं। इन पंचसितारा स्कूलों में बस से लेकर क्लासरूम, कैन्टीन तक सब पूर्णरूपेण वातानुकूलित है। ऐसे में हम इन टूटे-फूटे फर्नीचर, उधड़ी छत, पेयजल की शुद्ध व्यवस्था रहित, शौचालय का सदा अभाव के सहारे, मिड-डे-मील, मुफ्त पुस्तकें, नि:शुल्क स्कूल ड्रेस देकर कब तक इनका मुकाबला करते रहेंगे। ऐसे में जरूरत है समान स्कूल शिक्षा प्रणाली की, क्या इस दिशा में हम बढ़ पायेंगे। यह सवाल हमारे नीति निर्माताओं तथा देश के कर्णधारों को क्या कभी कचोटता या सालता है। शायद नहीं, फिर टोटकों के सहारे हम कब तक सबको शिक्षा का ढिंढोरा पीटते रहेंगे।

यहाँ गौर करने की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारे सरकारी स्कूलों में सभी सुविधाओं के मुफ्त होने के बाद भी लोग अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते हैं। निजी स्कूलों से अधिक योग्य, प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती है और शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन भी मिल रहा है फिर भी हमारे सरकारी स्कूल आकर्षण के केन्द्र क्यों नहीं बन रहे हैं। इस पर हमें ईमानदारी से गौर करना होगा और सरकारी स्कूलों पर लगे नाकामी के ठप्पे को मिटाना होगा। इसके लिए आरटीई जैसे कानून को सरकार जरूर ले आयी किन्तु वह जमीन पर मूर्तरूप नहीं ले सका। केवल 8 प्रतिशत स्कूल ही इस अधिनियम का पूरी तरह पालन करते हैं। इसकी मुख्य वजह अपर्याप्त बजटीय आवंटन है। कोठारी आयोग ने सकल बजट का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था। उसे हम आज तक लागू नहीं कर सके। 60 लाख बच्चे इस अव्यवस्था के कारण आज भी स्कूल से बाहर हैं। इसमें अधिकतर दलित 4 प्रतिशत शामिल है। आदिवासी16.6 प्रतिशत और 25.7 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इस बात का संकेत है कि आरटीई कानून अधिकारियों की उदासीनता से नाकाम रहा है। ❑

(स्वतंत्र लेखक)

बाल शिक्षा अधिकार 2009- परिचय, विसंगतियाँ एवं सुझाव

शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता और सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त किया जा सकता है। यह तभी संभव है, जब समाज में शैक्षिक भेदभाव की जगह सबको समान रूप से शिक्षा सुलभ हो। इस आशा को लेकर सर्वोच्च न्यायमूर्ति स्वतंत्रकुमार की पीठ ने एक के मुकाबले दो के बहुमत के आधार पर 'शिक्षा का अधिकार 2009' पर मुहर लगा दी। निजी स्कूलों की याचिका पर फैसले में खण्डपीठ ने कहा कि यह कानून सरकारी व सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होगा। लेकिन गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों पर यह लागू नहीं होगा।

❑ **बजरंग प्रसाद मजेजी**

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, गुणवत्ता के लिये कई आयोगों का गठन किया गया। डॉ. दौलत सिंह कोठारी (1964) ने शिक्षा के सभी पक्षों पर अपना अभिमत दिया। परन्तु सरकारों ने संविधान से जुड़ी शिक्षा की व्यवस्थाओं की सार्वभौमिक अवधारणाओं के रचनात्मक सुझावों की अनदेखी कर नेपथ्य में डाल दिया। नई शिक्षा नीति (1986) के परिप्रेक्ष्य में धरातलीय कार्यवाही न होने से देश की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था सामाजिक विषमता के खण्डों में बँटती चली गई। राजनैतिक परिवर्तनों के कारण सरकार एवं शिक्षा मंत्री उनकी विचारधारा के अनुसार चलने लगे। देश की शिक्षा नीति स्थायित्व नहीं ले सकी। इस कारण शैक्षिक गुणवत्ता के प्रति सजगता नहीं रही।

शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता और सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त किया जा सकता है। यह तभी संभव है, जब समाज में शैक्षिक भेदभाव की जगह सबको समान रूप से शिक्षा सुलभ हो। इस आशा को लेकर सर्वोच्च न्यायमूर्ति स्वतंत्रकुमार की पीठ ने एक के मुकाबले दो के बहुमत के आधार पर 'शिक्षा का अधिकार 2009' पर मुहर लगा दी। निजी स्कूलों की याचिका पर फैसले में खण्डपीठ ने कहा कि यह कानून सरकारी व सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होगा। लेकिन गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों पर यह लागू नहीं होगा। न्यायालय ने कहा कि कानून की धारा 12 (1) सी और 18 (3) संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मिले अधिकारों का उल्लंघन करती है। शिक्षा सभी स्तरों पर देना राज्य का कर्त्तव्य है। शिक्षा देने हेतु निजी विद्यालयों को बाध्य नहीं कर सकते हैं। कोटा निर्धारित नहीं किया जा सकता तथा व्यय का भार निजी विद्यालयों पर नहीं डाला जा सकता।

शिक्षा अधिकार 2009, का गठन एवं अवधारणा

सर्वोच्च न्यायालय की अभिशंषा के बाद केन्द्र सरकार ने 2 जुलाई 2001 को केबीनेट में स्वीकृति दी और संसद में इस विधेयक को 20 जुलाई 2009 तथा 26 जुलाई 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में भाग-2 खण्ड-1 नई दिल्ली बृहस्पतिवार को 'बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009' प्रकाशित हुआ तथा देश में 1 अप्रेल 2010 से लागू किया गया। राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार की अनुपालना में शिक्षा ग्रुप (1) विभाग, जयपुर ने 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी कर नि:शुल्क एवं बाल अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नियम बनाकर भाग 1 से भाग 9 तक समाहित कर अधिसूचना प्रसारित की।

भारत के राजपत्र में शिक्षा अधिकार की प्रमुख धारायें-

भारत के राजपत्र भाग-2 खण्ड-1 दिनांक 27 अगस्त 2009 में प्रकाशित बाल अधिकार अधिनियम नम्बर 35 के चेप्टर-II के 3 (1) के अनुसार प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, पड़ौस के विद्यालय में दिये जाने का प्रावधान है।

- धारा 3 (2) के अनुसार ऐसे किसी भी बालक को प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। उसे नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी।
- धारा 3 (4) के अनुसार कोई भी बालक 6 वर्ष तक किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ा है और वह विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसकी आयु के अनुसार सीधे उसी कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा, जिस उम्र के अनुसार वह कक्षा का पात्र है।
- धारा 3 (5)(1) के अनुसार वह विद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्य विद्यालय में प्रवेश ले सकेगा और अपनी शिक्षा पूरी कर सकेगा।
- धारा 5 (2) में यह प्रावधान दिया गया है कि

यदि कोई बालक अपने अभिभावक के साथ किसी अन्य नगर/प्रान्त में जाता है तो उसे स्थानान्तरित स्थान पर उसी स्तर की कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

- धारा 5 (3) के अनुसार जिस विद्यालय से बालक स्थानान्तरित हो रहा है उसके संस्था प्रधान को माँगने पर तत्काल टी.सी. देनी होगी। यदि संस्थान प्रधान विलंब या आनाकानी करेगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- चेप्टर III भाग 8 ए के अनुसार प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक को राजकीय, गैर राजकीय विद्यालय में नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी। निजी विद्यालयों को 25 प्रतिशत दुर्बल तथा असुविधाग्रस्त बालक को प्रवेश देना अनिवार्य होगा, जिसके व्यय भार का पुनर्भरण सरकार को करना होगा।
- भाग 8 डी के अनुसार सरकार को इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित कक्षाकक्ष, जल, शौचालय, बालक की उपस्थिति, शिक्षा पूर्ण करने का दायित्त्व शिक्षक छात्र अध्यापक अनुपात में किये जाने का दायित्त्व संस्था एवं सरकार का होगा।
- चेप्टर IV 13 (4) के अनुसार किसी भी बालक से प्रवेश के समय केपीटेशन फीस, अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- धारा 14 (2) में प्रावधान है कि कोई भी बालक जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं रहेगा। अभिभावक द्वारा दी गई जन्मतिथि मान्य होगी।
- धारा (16) के अनुसार किसी भी बालक को जिस कक्षा में अध्ययनरत है, उससे नीचे की कक्षा में नहीं भेजा जायेगा।
- धारा 18 (1) के अनुसार कोई भी विद्यालय बिना सरकार की मान्यता नहीं चला पायेगा।
- धारा 21 (1) संशोधन के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन कर, उसके सुझावों की पालना संस्था और अध्यापक को करनी होगी।
- चेप्टर V के 30 (1) के प्रावधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिये कोई बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी अर्थात् कक्षा 8 तक कोई अनुत्तीर्ण नहीं होगा। उसे प्रति वर्ष कक्षोन्नति दे दी जायेगी।
- धारा 31 (1) के अनुसार बालक को शिक्षा अधिकार के संरक्षण एवं समस्या निस्तारण हेतु बाल संरक्षण आयोग के प्रावधान के अनुसार संस्था/ ब्लाक जिला/ राज्य स्तर तक परिवेदना देकर निस्तारण कर सकेगा।

शिक्षा अधिकार नियम के क्रियान्वयन में विसंगति एवं सुझाव

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 93 प्रतिशत सरकारी विद्यालय की गुणवत्ता सुधारने की बजाय 7 प्रतिशत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत विद्यार्थी के प्रवेश पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
- सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष और ज्ञान आयोग के पूर्व सदस्य प्रताप भानू मेहता ने प्रत्येक बालक को प्राथमिक स्तर तक अनुत्तीर्ण न कर, अगली कक्षा में कक्षोन्नति को उचित नहीं माना है। उनका कहना है कि ऐसी सर्वव्यापी नीति कैसे बनाई जा सकती है, जिसमें यह सवाल तक न हो कि उस बालक ने कुछ सीखा है या नहीं। इस नियम के कारण परीक्षा आधारित आँकलन की मशक्कत समाप्त हो जायेगी और सरकार के द्वारा कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण नहीं होगा। आदेश से शैक्षिक गुणवत्ता में कमी आयेगी तथा सम्बन्धित शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक भी लापरवाह हो जायेंगे। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की राज्य सलाहकार परिसद ने इस विषय पर गंभीरता से चिंतन कर केन्द्र सरकार को सुझाव देने का प्रस्ताव किया है कि कक्षा 1 से 8 तक सतत् मूल्यांकन किया जा सकता है। कक्षा 8 की राज्य स्तरीय बोर्ड से परीक्षा ली जाये, ताकि बालक में गुणवत्ता बनी रहे। इसी के अनुरूप धारा 16 में प्रवेशित बालक को कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण नहीं किये जाने के प्रावधान में प्रस्तावित है कि यदि कोई बालक कक्षा स्तर से कमजोर है तो अभिभावक की सहमति होने पर ही बालक को कक्षा में रोका जाये तथा बोर्ड परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण हो तो दुबारा अवसर दिया जाये।
- धारा 8 डी के अनुसार नये क्रमोन्नत विद्यालय, खोलने के साथ ही प्रावधान हो कि विद्यालय भवन, कक्षाकक्ष, शिक्षक संख्या, भौतिक संसाधन की पूर्ती की जाये।
- धारा 25 के अनुसार वर्णित छात्र अध्यापक अनुपात की पूर्ती करने का दायित्त्व सरकार का है। इसके अभाव में बालकों की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है। विद्यालय छात्र संख्या के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिये।
- बड़े नगरों में नामचीन विद्यालयों में सरकारी आदेश से 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग एवं असुविधाग्रस्त बालक को प्रवेश दिलाया जा रहा है परन्तु प्रवेश मिलने से ही बालक को अच्छी शिक्षा मिल जायेगी यह संदेहास्पद है। उसके साथ भेद किया जाता है। उस विद्यालय के महंगे गणवेश, भ्रमण के नाम व्यय राशि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेलों के आयोजन पर निर्धन बालक को व्यय भार वहन करना पड़ता है। इसमें छूट मिलने की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- शिक्षा अधिकार के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को नि:शुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। परन्तु, 14 वर्ष से ऊपर के बालक को शिक्षा के मौलिक अधिकार का लाभ नहीं मिल रहा है। शिक्षा का मौलिक अधिकार उम्र के अनुसार न होकर, सबको मिलना चाहिये। जैसे कि मनरेगा में सबको काम का अधिकार दिया गया है। ❑

(कोषाध्यक्ष, अ.भा.रा.शै.महासंघ)

11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 13 लाख स्कूलों में करोड़ों बच्चों को उम्दा शिक्षा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे। शिक्षा के अधिकार विधेयक में भी इस निजीकरण को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, वरन ऐसा करने की एक प्रकार से इजाजत ही है। वैश्वीकरण के तहत सरकारी स्कूल प्रणाली को ध्वस्त करने की नीति लागू की गयी। इसमें जब काफी सफलता मिल गयी तो विश्व बैंक और बाजार की अन्य ताकतें विभिन्न गैर सरकारी एजेंसियों (NGO) के जरिए तथाकथित शोध अध्ययन आयोजित करके ऐसे आँकड़े पैदा करवा रही हैं कि किसी तरह सिद्ध हो जाये (यानि भ्रम फैल जाए) कि सरकारी स्कूल एकदम बेकार हो चुके हैं और इनको बंद करना ही देश के हित में होगा।

कैसे पढेंगे कृष्ण और सुदामा एक साथ?

❑ **प्रवीण त्रिवेदी**

आज के संदर्भ में देखें तो विगत 5-10 वर्षों में वैश्विक बाजार की ताकतों के हौसले सब हदों को तोड़ रहे हैं। इसलिए शिक्षा के अधिकार और समान स्कूल प्रणाली पर हो रहे हमलों को पहचानना और तदनुरूप उनका उपचार जरूरी हो गया है। शिक्षा के अधिकार का आज का स्वरूप आने के पहले और बाद में जो बहस चली है उसमें समान स्कूल प्रणाली और पड़ौसी स्कूल की अवधारणा को हाशिए पर धकेलने के लिए एक नया शगूफा छोड़ा गया या ये कहें कि टोटका आजमाया गया है। वह है 'निजी स्कूलों में पड़ोस के कमजोर तबके के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का।' अक्सर समाचार की सुर्खियाँ इसी से प्रेरित हो लिख देती हैं कि - 'अब पढ़ेंगे कृष्ण और सुदामा साथ-साथ'। लेकिन क्या वास्तव में यह इस हद तक संभव और आसान है? इसी की पड़ताल करता यह आलेख।

अब यह मुद्दा गौण हो गया कि यदि इस प्रावधान के अनुसार 25 प्रतिशत गरीब बच्चे पड़ौस से आएंगे तो जाहिर है कि 75 प्रतिशत फीस देने वाले संपन्न बच्चे पड़ोस से नहीं आएंगे, तो फिर यह बराबरी हुई अथवा खैरात? इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि इस प्रावधान से कितने गरीब बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद हैं? जाहिर है कि विधेयक में 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का न तो शिक्षा के अधिकार से कोई संबंध है, न समान स्कूल प्रणाली से और न ही 86वें संशोधन के अनुरूप शिक्षा प्रणाली के पुन:निर्माण से। तब भी विचार यह है कि मौलिक अधिकार का सारा दारोमदार इसी 25 प्रतिशत आरक्षण में है, शायद इसीलिए क्योंकि इसके चलते शिक्षा के निजीकरण व बाजारीकरण की रफ्तार और तेज हो जाएगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशिप यानी PPP की जमकर वकालत की गई है। मॉडल स्कूल, नवोदय या सेंट्रल स्कूल या प्रदेश स्तर पर अभिनव विद्यालयों की स्थापनायें। यह सब केवल मुट्ठी भर बच्चों के लिए किया जाएगा लेकिन लगभग 13 लाख स्कूलों में करोड़ों बच्चों को उम्दा शिक्षा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे। शिक्षा के अधिकार विधेयक में भी इस निजीकरण को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, वरन ऐसा करने की एक प्रकार से इजाजत ही है। वैश्वीकरण के तहत सरकारी स्कूल

प्रणाली को ध्वस्त करने की नीति लागू की गयी। इसमें जब काफी सफलता मिल गयी तो विश्व बैंक और बाजार की अन्य ताकतें विभिन्न गैर सरकारी एजेंसियों (NGO) के जरिए तथाकथित शोध अध्ययन आयोजित करके ऐसे आँकड़े पैदा करवा रही हैं कि किसी तरह सिद्ध हो जाये (यानि भ्रम फैल जाए) कि सरकारी स्कूल एकदम बेकार हो चुके हैं और इनको बंद करना ही देश के हित में होगा।

आये दिन रिपोर्ट (उदा. 'प्रथम' की असर नामक रिपोर्ट) छप रही है यह बताते हुए कि सरकारी स्कूल कितने बदहाल हैं, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, यदि हैं तो वे पढ़ाते नहीं हैं और वहां जाने वाले विद्यार्थी न लिखना जानते हैं और न हिसाब करना। कोई रपट यह नहीं बताती कि इन स्कूलों के हाल कि ये बदहाल कैसे हुए और इस प्रक्रिया में देश के शासक वर्ग एवं बाजार की ताकतों की क्या भूमिका रही है?

पिछले 5 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा में बढ़ोतरी का एक प्रमुख हिस्सा विशेष श्रेणी के स्कूल शुरू करने के लिए है– जैसे केंद्रीय व नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा बालिका विद्यालय और 6,000 से ज्यादा नए मॉडल स्कूल (हालांकि इस वर्ष के बजट में मॉडल स्कूल्स को बंद करने का ऐलान किया गया है।)। इसका फायदा केवल विशेष प्रकार से चुने गये मुट्ठी भर बच्चों को ही होगा, जबकि अधिकांश आम स्कूलों की उपेक्षा ही होगी।

11वीं योजना के दृष्टि पत्र में लिखा है कि भारत की शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक बाजार के लिए कुशल कारीगरों की फौज तैयार करना है। इसका मतलब क्या यह है कि संविधान एवं कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के जरिए, लोकतांत्रिक, समाजवादी, समतामूलक व धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए सचेत नागरिक निर्माण का उद्देश्य वैश्वीकरण के युग के भारतीय शासकों को मंजूर नहीं है? इनके लिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा करना ओर अधिकतम मुनाफा कमाना रहेगा?

आखिर कैसे पढेंगे कृष्ण और सुदामा एक साथ? अमीरों और गरीबों के बच्चे पहले भी साथ-साथ पढ़ते थे। इसका सबसे मशहूर उदाहरण कृष्ण और सुदामा की जोड़ी है। हमारे देश में शुरू से ही 'नारायण' और 'दरिद्रनारायण' की एक साथ शिक्षा की व्यवस्था रही है। सम्पन्न कृष्ण को आखिर विपन्न सुदामा के जैसे ही लकड़ी काटने की शिक्षा देने के पीछे मात्र उद्देश्य यही होता था कि वे दोनों ही स्वावलम्बी बनें। गुरु जानते थे कि जो आज सम्पन्न है वह कल विपन्न भी हो सकता है और उस स्थिति में लकड़ी काट कर भी अपनी आजीविका चला सकता था। तात्पर्य यह है कि शिक्षा के मूल में मुख्य रूप से स्वावलम्बन हुआ करता था। आज की शिक्षानीति भेद-भाव को कम कर रही है या बढ़ा रही है। ❑

RTE Means Kannada Medium

The Karnataka Legislative Assembly has passed an amendment to the Right of Children to Free and Compulsory Education Act (2009), making Kannada or the mother tongue mandatory as the medium of instruction in all schools covered by the act in the state.

The consequence of this amendment, which comes into immediate effect, is that new English medium schools cannot be started. However, minority schools, which do not come under the RTE Act, can have English medium classes.

"This means the Hindu and the Kannadiga children in Karnataka are denied the right to education in English, while minority children and non Kannadigas can study in English medium," advocate KV Dhananjay, who fought the case against the state government's moves to mandate Kannada medium, filed by the Karnataka Unaided School Managements Association (KUSMA) up to the Supreme Court, told ET.

The state has explained its stand very clearly in the RTE (Karnataka Amendment) Bill, 2015. Contending that Article 21A of the Constitution has mandated that the state determines by law the medium of instruction in schools that provide free education, the Act says "the child cannot claim under Article 21 or Article 21A that he has a right to choose the medium of instruction in which education should be imparted to him by the state. There is, however, an element of doubt raised over the issue of "free education", as the state does not fund students studying in unaided private schools except for those studying under the RTE quota. Legal and educational experts feel that this could be a ground on which the Karnataka amendment could be fought against.

शिक्षा से खिलवाड़

❑ **राकेश प्रकाश**

बेहतर कल के लिए स्कूलों में शिक्षा नीति कैसी हो, इसे लेकर आजादी के बाद से अब तक मंथन जारी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर गिरता जा रहा है, यह खुलासा खुद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री ने किया। मगर शिक्षा नीति को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री ने चुप्पी साध रखी है। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया समेत कई दूसरे नेताओं को पत्र लिख कर सभी बच्चों को पास करने की नीति पर सवाल उठाए जाने के बाद भी अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

देश में बुनियादी शिक्षा और खासकर गाँवों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार को लेकर कई योजनायें बनीं। सर्वशिक्षा अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। गाँवों में स्कूली शिक्षा को लेकर राज्यों के शिक्षा विभागों की अलग-अलग राय है। दिल्ली सरकार के मुताबिक स्कूली शिक्षा के गिरते स्तर के लिए अध्यापक और स्कूल प्रबंधन से ज्यादा देश की शिक्षा नीति जिम्मेदार है। वर्तमान में देश में लागू सभी बच्चों को पास करने की नीति के कारण कक्षा आठ तक बच्चों की पढ़ाई पर कोई निगरानी नहीं है। इस तरह करीब पच्चीस प्रतिशत बच्चे हर साल फेल होते हुए भी पास होते हैं। यह चौंकाने वाला आँकड़ा दिल्ली के स्कूलों का है, तो देश के पिछड़े इलाकों में शिक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है।

आज भी ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे स्कूल हैं, जहाँ शिक्षक नहीं हैं। अगर शिक्षक हैं तो स्कूल में बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। ऐसे में सभी बच्चों को बिना उचित शिक्षा और बगैर किसी मापदंड के सीधे-सीधे पास करना किस हद तक उचित है। इससे बच्चों में पढ़ने की इच्छा और शिक्षकों में जिम्मेदारी की भावना कम हो रही है। चूंकि सभी बच्चों को पास करना है, लिहाजा शिक्षक भी गंभीरता से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। पूरे पाठ्यक्रम को लेकर बच्चों में पढ़ाई और परीक्षा के प्रति उदासीनता का भाव देखने को मिलता है। बच्चे आसानी से आठवीं कक्षा तक तो पास हो जाते हैं, पर नौवीं में आते ही उनके सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है। यही कारण है कि नौवीं कक्षा में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। देश और समाज में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो पढ़े-लिखे तो हैं, लेकिन समझदार नहीं हैं। लिहाजा, शिक्षा के अधिकार कानून में बदलाव की जरूरत है। सभी बच्चों को पास करने की नीति तीसरी कक्षा तक ही लागू रहनी चाहिए। चौथी कक्षा से शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

इसे ध्यान में रख कर यूपीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून में बदलाव करने की तैयारी की थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। यूपीए सरकार ने मार्च 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया था। इसमें पहली से लेकर आठवीं तक के छात्रों को फेल नहीं करने की नीति शामिल थी। मगर हाल के सालों में देखा गया कि यह नीति अपनाने के बाद शिक्षक और छात्र पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं रह गए हैं। इसका असर दसवीं और बारहवीं कक्षा के परिणाम पर भी पड़ा है। पहले जहाँ दोनों कक्षाओं का परीक्षा परिणाम सत्तर से पचहत्तर प्रतिशत तक रहता था, वह अब पचास से साठ प्रतिशत के बीच पहुँच गया है।

हाल के दिनों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिशें केंद्र सरकार की ओर से की गई हैं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के गिरते स्तर को सुधारना है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, दुबारा पाँचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू करने की सिफारिश कर चुका है। देखना है, सरकार इस मुद्दे पर कब कारगर कदम उठाती है। ❑

देश में बुनियादी शिक्षा और खासकर गाँवों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार को लेकर कई योजनायें बनीं। सर्वशिक्षा अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। गाँवों में स्कूली शिक्षा को लेकर राज्यों के शिक्षा विभागों की अलग-अलग राय है। दिल्ली सरकार के मुताबिक स्कूली शिक्षा के गिरते स्तर के लिए अध्यापक और स्कूल प्रबंधन से ज्यादा देश की शिक्षा नीति जिम्मेदार है। वर्तमान में देश में लागू सभी बच्चों को पास करने की नीति के कारण कक्षा आठ तक बच्चों की पढ़ाई पर कोई निगरानी नहीं है। इस तरह करीब पच्चीस प्रतिशत बच्चे हर साल फेल होते हुए भी पास होते हैं। यह चौंकाने वाला आँकड़ा दिल्ली के स्कूलों का है, तो देश के पिछड़े इलाकों में शिक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है।

बेबस बस्ता, बेरहम बोझ, बेअसर बहस

छोटे-छोटे बच्चे जिन्हें खुद को संभालने का भी शऊर नहीं होता, इस बस्ते में रखी ढेरों चीजों को संभालते हैं- किताबें, कापियाँ, कलम, स्लेट, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल और कई अन्य उपकरण। जितना मशहूर स्कूल, उतना ही भारी बस्ता। बस्ते में रखी चीजों की कीमत भी हजारों में, क्योंकि स्कूल जो मशहूर है। इस बेबस बस्ते की कहानी यदा-कदा कोई सरकार सुन लेती है तो रहम करके कमेटी, कमीशन बिठा देती है। महीनों तक फरियाद सुनने, बहस-मुबाहिसा करने के बाद फैसला होता है कि बस्ते को कम लादा जाय, मगर दूसरे कायदे-कानूनों की तरह इस पर भी अमल नहीं होता बल्कि बस्ते को उसकी फरियाद की हिमाकत के लिये और ज्यादा लादा जाता है। सजा दी जाती है।

❑ **कैलाश विहारी वाजपेयी**

सारे देश में ग्रीष्मावकाश के बाद अधिकांश स्कूल खुलने वाले हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के इन दिनों पाठशाला जाने का चित्र व वर्तमान समय का चित्र बहुत भिन्न हो गया है। पहले बस्ते प्रारम्भ में तो आवश्यक ही नहीं थे और जब आवश्यक होते तो बहुत हल्के ही रहते, परन्तु अब प्रारंभिक कक्षाओं में भी बस्ते भारी भरकम हो गये हैं।

बेबसी की अनेक कहानियों में बच्चों के बस्तों की भी एक बेबस कहानी है। 68 वर्ष में इन्सान ने इन्सान की सुनना ही बंद कर दिया तो बिचारे इस निर्जीव बस्ते की कौन सुने। देश में गरीबी थी तो बस्ता ही उपलब्ध नहीं था। लकड़ी या स्लेट की पट्टियाँ थी। बरू (सरकंडे) की कलम थी या स्लेट- खड़िया थी। बच्चे यूं ही पट्टियों को टाँगे या बगल में दबाये चहकते, खेलते-कूदते, बतियाते स्कूल जाते थे। समूह में दूर-दूर के स्कूलों की यात्रा भी कट जाती थी, चूंकि बस्ते का बोझ नहीं था।

वक्त बदला है, तरह-तरह की कापियाँ, रंगीन चित्रों वाली किताबें, तरह-तरह के कलम और पट्टियाँ ईजाद हो गई हैं। इनको देखकर बच्चे बड़े खुश थे, सोचते थे इनसे खेलेंगे। मगर हुआ उलटा, इन सबका ढेर ढोना पड़ रहा है। स्कूल भी अब पहले से पास है, मगर यह कम फासला भी इस नये बोझ के चलते दुश्वार हो गया है। सारा ध्यान बोझ के ढोने में लगा रहता है।

बच्चे सारा खेलकूद, राग-रंग, चौकड़ी-छकड़ी सब भूल गये। बोझ के मारे कँधा टूटा जाता है, कमर झुकी जाती है। बात भी क्या करें, मम्मी पापा को मदद के लिये पुकारते हैं तो वे भी कभी-कभी बस्ते का बोझ ढोने में मदद करते हैं। नामी-गिरामी स्कूलों के लिये ऑटो लगे हैं तो उसके चारों ओर सहस्रार्जुन की सहस्त्र भुजाओं की तरह बस्ते लटके रहते हैं। बच्चों के बस्तों के बोझ से कई ऑटो पलट जाते हैं।

कभी-कभी बस्तों की मार से टक्कर और दुर्घटना भी हो जाती है। बस्ते भी तरह-तरह के हो गये हैं, ज्यादा से ज्यादा बोझ ढोने के लिये और कंधों की कमजोरी हो तो कमर पर भी कस कर लद जाने के लिये। जिरह-बख्तर की तरह उसे लादने-उतारने में भी मदद लेनी पड़ती है। युद्ध में

विजय हेतु जाते हुए सैनिकों की तरह पाँव में बूट कसे, कंठ में लंगोटी कसे, कमर में बेल्ट कसे सर्दियों में भारी-भरकम ब्लेजर या स्वेटर आदि और उन पर सवार भारी बस्तों को घसीट कर अपने ज्ञान स्थल स्कूल तक की यात्रा एवरेस्ट अभियान से कम नहीं होती।

छोटे-छोटे बच्चे जिन्हें खुद को संभालने का भी शऊर नहीं होता, इस बस्ते में रखी ढेरों चीजों को संभालते हैं- किताबें, कापियाँ, कलम, स्लेट, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल और कई अन्य उपकरण। जितना मशहूर स्कूल, उतना ही भारी बस्ता। बस्ते में रखी चीजों की कीमत भी हजारों में, क्योंकि स्कूल जो मशहूर है। इस बेबस बस्ते की कहानी यदा-कदा कोई सरकार सुन लेती है तो रहम करके कमेटी, कमीशन बिठा देती है। महीनों तक फरियाद सुनने, बहस-मुबाहिसा करने के बाद फैसला होता है कि बस्ते को कम लादा जाय, मगर दूसरे कायदे-कानूनों की तरह इस पर भी अमल नहीं होता बल्कि बस्ते को उसकी फरियाद की हिमाकत के लिये और ज्यादा लादा जाता है। सजा दी जाती है।

बेबस बस्ते पर बोझ इस बेरहमी से लादा जाता है कि मजबूत से मजबूत बस्ता भी बिचारा फट जाता है। फूट-फूट कर रोने लगता है, टूट जाता है। बेबस बस्ते पर बेरहम बोझ की बेअसर बहस बरसों से दोहराई जा रही है, मगर विचारे बस्ते को किसी भी कोर्ट से ऊँचे से ऊँचे ओहदेदारों से कभी कोई मुस्तकिल राहत नहीं मिली है।

एक मामूली से फैसले से बस्ते को राहत दी जा सकती है। प्रारम्भिक कक्षा में तो किताबें चाहिये ही नहीं और जब जरूरत पड़ने लगे तो केवल भाषा की पुस्तक लानी पड़े। गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान आदि के किसी भी विषय में बालकों को किताबें लाने की कतई जरूरत नहीं होनी चाहिये। वे केवल उस्तादों की मदद के लिये हैं। उस्तादों को भी उनसे केवल तैयारी करना है, उन्हें क्लास में नहीं पढ़ना है। रही बात कॉपियों की, तो कक्षा कार्य पर जोर हो और उसके लिए शुरूआती दौर में तो एक ही कॉपी में अलग-अलग पृष्ठ निर्धारित किये जा सकते हैं।

ऊँची कक्षाओं में घर जाकर विषयवार कॉपियों में लिख लें। इससे दोहराव भी हो जायेगा और गृहकार्य भी। हर बच्चा प्रत्येक दिन कक्षा कार्य को ही ठीक से दोहरा ले, गृहकार्य के रूप में व्यवस्थित कर ले तो वह निश्चय ही अच्छी उपलब्धि कर सकता है। जिन स्कूलों में साधन हो वें बच्चों की कॉपियों-किताबों को स्कूल में ही रखें।

अधिकांश स्कूलों में गृहकार्य को जब शिक्षक देखते नहीं, एक-एक शब्द और अंक को संशोधन कर सकते नहीं, तो बोझ बढ़ाने से क्या लाभ? जो भी हो जरूरत पड़े तो ही गृहकार्य की कॉपी मंगवाई जाय, वह भी कार्यक्रम के अनुसार, कभी इस विषय की तो कभी उस विषय की। साधन सम्पन्न स्कूल धीरे-धीरे स्कूल में ही बच्चों को एक पिजन बॉक्स (छोटा आला) या लॉकर जुटा सकते हैं। कई देशों में ऐसा प्रावधान अभी भी है। बहरहाल महरबानों किसी भी सूरत में भारी-भारी किताबों और कॉपियों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिये।

गृहकार्य को व्यवस्थित करने के कई तरीके हैं। उसका टाइम टेबल बने, पूरी चैकिंग हो, बच्चे गलती को ही न दोहरायें। शिक्षक अशुद्ध भाषा व अशुद्ध उत्तर को सही किये बिना हस्ताक्षर न करें। ऐसा होने पर ही गृहकार्य की सार्थकता है अन्यथा वह अशुद्धियों को स्थायी करने में ही मदद करेगा। सर्वप्रथम आवश्यक है कि कक्षा कार्य पर बल देकर उसे ही पूर्णत: शुद्ध करवा दिया जाय।

अधिकांश स्कूलों में गृहकार्य के नाम पर पुस्तकों की नकल है। कॉपियाँ या तो देखी नहीं जाती, या बिना देखे या बिना शत प्रतिशत शुद्ध किये, उन पर शिक्षक हस्ताक्षर कर देते हैं। अशुद्ध उत्तरों पर भी कई बार सही का निशान लगा होता है। खानापूर्ति करने और कॉपियाँ खाली रख कर स्टेशनरी बर्बाद करने के बजाय कक्षा कार्य पर ही, कक्षा के अच्छे बच्चों की सहायता से पूर्णत: एवं शुद्धता पर बल देना अधिक व्यावहारिक होगा।

बस्ते के बोझ के पीछे अनेक शारीरिक-मानसिक व आर्थिक बोझ भी हैं। ढेर सारी अनावश्यक किताबें तथा कॉपियाँ एवं अन्य उपकरण अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ डालते हैं। स्कूल चूंकि शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाते, अत: बच्चे पानी की बोतल साथ लाते हैं। सरकारी स्कूलों में जहाँ कहीं मिड-डे मील का प्रावधान है वहाँ टिफिन बॉक्स की आवश्यकता नहीं रहती। प्राइवेट स्कूल तथा नामधारी बड़े-बड़े स्कूल, जो हजारों व लाखों में फीस लेते हैं और वित्तीय शोषण का केन्द्र बने हुए हैं, स्कूल में ही बच्चों को उसी फीस में स्वास्थ्यप्रद फल व नाश्ता जुटायें, इसके लिए आधुनिक युग में श्रेष्ठ व तेज साधन उपलब्ध है।

सिर, कंधों और कमर पर ढोये जाने वाले बस्तों के बोझ से बालक अपनी शिक्षा को ही एक बोझ समझ कर ढोता है, जिससे उसे मानसिक क्षति पहुँचती है। सिर, कमर व कंधों की जटिल व्याधियों का बीज यह बस्ते का बोझ बो देता है। बस्ते के बोझ के अभिशाप के रूप में सिरदर्द, विभिन्न प्रकार की कंधों की, स्पोन्डेलाइटिस, स्लिप डिस्क आदि से बालक आगे जाकर ग्रसित हो सकते हैं। बेबस बालक अपने बस्ते का बोझ हटाने हेतु बार-बार गुहार करता है। हमारी बेरहमी देखिये कि हम अपने बच्चों के भविष्य की भी चिन्ता नहीं करते, केवल बहस करते हैं और वह बहस भी ऐसी कि जो बेअसर है- अंतहीन, प्रभावहीन, निर्णयहीन-कोरी बहस ही बहस। ❑

(से.नि. राजस्थान प्रशासनिक सेवा)

शिक्षा नीति राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो

❑ **डॉ. जगदीश सिंह दीक्षित**

भारत की शिक्षानीति सर्वजन हिताय हो। सभी एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। शिक्षा नीति ऐसी बननी चाहिए जिससे शिक्षित व्यक्ति धर्म व नीति पर चलें। शिक्षा ज्ञान आधारित हो। चारित्रिक सम्पन्नता बढ़ाने पर जोर देना होगा। शिक्षा को ग्रामोन्मुखी बनाना होगा। शिक्षा विकासोन्मुख हो परन्तु सर्वग्राही हो। शिक्षा का उद्देश्य भारत की परम्पराओं, सांस्कृतिक मूल्यों एवं वर्षों से चली आ रही संस्कारों की परम्परा को अक्षुण्ण रखना होना चाहिए। समर्पित एवं कुशल शिक्षक ही यह सब कर सकता है। यह भी ध्यान देना होगा कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी भाषा में पाठ्यक्रम की संरचना हो।

शिक्षा व्यक्ति एवं समाज के निर्माण का कार्य करती है। आज आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा नीति राष्ट्रवादी शिक्षा पर आधारित हो। इसमें व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा में नैतिक एवं धार्मिक बातों का समावेश होना चाहिए। बच्चों में प्रतिभा निखारना, सामाजिक भाव पैदा करना एवं सांस्कृतिक चेतना जाग्रत करना यह सब संस्कारित शिक्षा से ही संभव है। हमारी शिक्षा नीति मनोवैज्ञानिक रूप से संस्कारयुक्त हो। राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण तथा व्यक्ति निर्माण में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हम भोगवाद की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बाजारवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अधिक से अधिक संचय की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। संवेदना मर रही है। लोग अपने तक सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में नये ढंग से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक का पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। पाठ्यक्रम की संरचना परिवार आधारित बननी चाहिए। जिससे परिवारों का प्रबोधन हो सके। शिक्षा में शाश्वत जीवन मूल्यों का समावेश हो। धर्म की जो दस मर्यादायें-दान, परित्राण, सेवा, सत्यवादिता, प्रियवादिता, हितवादिता, संतोष, स्वाध्याय, विश्वहित चिंतन, श्रद्धा हैं इनका समावेश करना होगा। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जो राष्ट्रगौरव को बढ़ा सके।

आज की शिक्षा प्रणाली से बच्चे केवल साक्षर बन रहे हैं। उन्हें शिक्षित बनाये जाने की जरूरत है। प्राथमिक शिक्षा तो पूरी तरह बच्चों की जो मातृभाषा हो उसमें दी जानी चाहिए। शाश्वत जीवन मूल्यों के साथ विज्ञान का प्रयोग होगा तभी दीर्घजीवी विकास हो सकता है। आज विश्व के सामने जो समस्यायें हैं उनका कारण लोभवश प्रकृति का मनचाहा उपयोग करना है। भारत का प्राचीन ज्ञान संस्कृत में है। यह ज्ञान उपनिषदों, वेदों एवं पुराणों में वर्णित है। अत: विज्ञान के साथ संस्कृत के अच्छे अध्ययन की सुविधा इच्छुक छात्रों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। कोठारी आयोग में भी कहा गया है कि- हमारे देश में विज्ञान पोषण हमारी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परम्परा के अनुरूप होना चाहिए। बेतरतीब औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय संकट का कारण बन सकते हैं। इसलिए औद्योगिक विकास भी भारतीय चिन्तन पर आधारित होना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा जो बच्चों के विकास का मूल आधार है, उसे बच्चों की प्रतिभा को पहचान देने की जरूरत है। भारत की शिक्षा नीति का आधार भारतीय जीवन दर्शन होना चाहिए। अध्यात्म भारतीय संस्कृति की विशेषता है। आज की शिक्षा व्यवस्था दो भागों में बँट चुकी है- एक संसाधन सम्पन्न लोगों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए जो संसाधनविहीन हैं। भारत की शिक्षानीति सर्वजन हिताय हो। सभी एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। शिक्षा नीति ऐसी बननी चाहिए जिससे शिक्षित व्यक्ति धर्म व नीति पर चलें। शिक्षा ज्ञान आधारित हो। चारित्रिक सम्पन्नता बढ़ाने पर जोर देना होगा। शिक्षा को ग्रामोन्मुखी बनाना होगा। शिक्षा विकासोन्मुख हो परन्तु सर्वग्राही हो। शिक्षा का उद्देश्य भारत की परम्पराओं, सांस्कृतिक मूल्यों एवं वर्षों से चली आ रही संस्कारों की परम्परा को अक्षुण्ण रखना होना चाहिए। समर्पित एवं कुशल शिक्षक ही यह सब कर सकता है। यह भी ध्यान देना होगा कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी भाषा में पाठ्यक्रम की संरचना हो। पाठ्यक्रम की संरचना करते समय अतीत के आधार को लेकर वर्तमान की आवश्यकतायें एवं भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखना होगा। हमारी शिक्षा नीति सशक्त, समृद्ध एवं समर्थ भारत के निर्माण के लिए बननी चाहिए।

वस्तुत: आज की शिक्षा राष्ट्र जीवन का खून चूस रही है तथा समाज जीवन को बोझिल बना रही है। इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर परीक्षा से उपाधि लेने वाला न तो सड़क पर बोझ ढोने के काबिल बन रहा है न जंगल में भेंड़ चराने के काबिल ही। जरूरत है शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की। जिससे भारत का समग्र एवं समन्वित विकास हो सके। ❑

(संयुक्त महामंत्री, रा.शै.महासंघ, उ.प्र.)

आजकल देश व राष्ट्र शब्द प्रचलित है अतः इनके अन्तर को जानना आवश्यक है। देश एक स्थान वाचक शब्द है, जबकि राष्ट्र इससे भिन्न एक सांस्कृतिक विचारधारा मूलक शब्द है। दूसरे शब्दों में किसी भी राज्य या देश का प्राथमिक निर्धारण उसके भू-भाग एवं भौगोलिक सीमाओं से होता है, किन्तु विश्व में किसी देश की पहचान उस देश विशेष की संस्कृति से होती है। प्रत्येक देश की राष्ट्रीयता का निर्धारण उस देश में आदिकाल से या उसके निर्माण के साथ उद्भूत, अनुप्राणित और सिंचित सांस्कृतिक विचारधारा के आधार पर होता है, जो देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत ही नहीं किन्तु भौगोलिक सीमाओं से बाहर थी, कई स्थानों पर यह देश के वाङ्मय और देशवासियों के चिंतन, विचार, व्यक्तित्व और कृतित्व से अस्तित्व और प्रकाश में आती हैं।

'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' शाश्वत मूल्यों से ही संभव

❑ प्रो. मधुर मोहन रंगा

आज हम जिस परिवेश में जीवन निर्वहन कर रहे हैं उस पर पाश्चात्य भौतिकतावादी दृष्टिकोण का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, इसी कारण जीवन के शाश्वत मूल्यों, नैतिक मूल्यों, नैतिकता, नैतिक दायित्वों पर वार्ता करना स्वाभाविक हो जाता है। जब इस प्रकार की चर्चा होती हैं, तब सभी का ध्यान शिक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षा व्यवस्था आदि पर केन्द्रित हो जाता है। अतः जीवन में शाश्वत मूल्यों की वास्तविक देयता शिक्षा ही है। बाल्यकाल से ही बालकों में सद्गुण विकसित करने का प्रयास होगा तभी उसके भावी जीवन में शाश्वत मूल्यों का प्रकटीकरण होगा। शाश्वत मूल्यों की कमी के कारण ही बिखरती एवं अव्यवस्थित सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था हम देख रहे हैं, अतः संस्कारक्षम वातावरण प्रदान करने से ही मूल्यों का दूरगामी प्रभाव स्पष्ट नजर आयेगा। जब हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय पर चिंतन करते हैं, तभी हमें स्मरण आता है कि भौतिक सुख-सुविधायें अर्जित करने से सुख-शांति प्राप्त नहीं होती हैं, वास्तविक सुख तो वह हैं जिसमें मन एवं शरीर की आत्मा से समरसता स्थापित हो जाय। मनुष्य हमेशा बाह्य व आतंरिक द्वन्द्व में ही जकड़ा रहता है। इसी अंतर्द्वन्द्व के कारण वह निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहता। शिक्षा इसी द्वन्द्व को उभारती है व समाधान का मार्ग प्रशस्त करती है। वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों, परीक्षा प्रणालियों ने हमें मात्र बहिर्मुखी बना दिया है। हमें मानव होने के वास्तविक सुख से दूर कर दिया है। इसी कारण शिक्षित समाज के युवक कई प्रकार के अव्यावहारिक कार्य व घटनाओं में

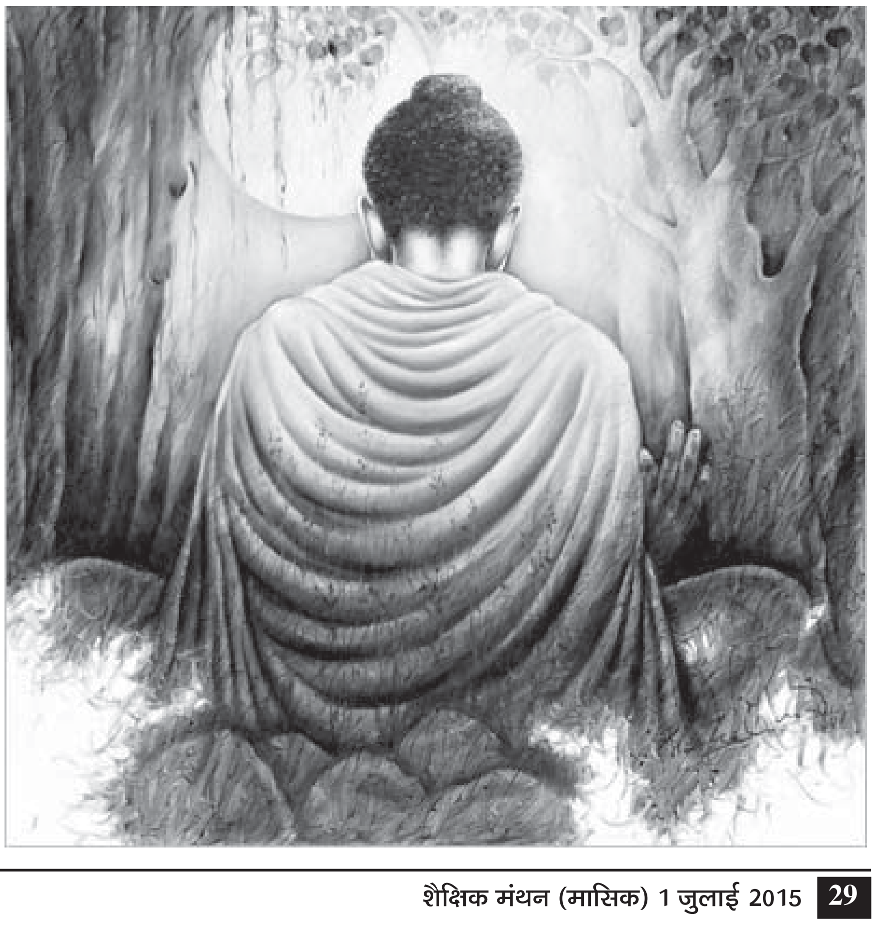

लिप्त हो जाते हैं। राष्ट्र प्रेम व देश भक्ति के मूल्यों की तिलांजलि देकर देश की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने में संकोच नहीं करते है, जबकि हमने जीवन की समरसता व समस्वरता को साकार करने के लिए शाश्वत मूल्यों की खोज की है तथा उसके अनवरत प्रवाह के लिए प्रयासरत रहते हैं। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमने समग्र, समरस, आध्यात्मिक मार्ग ढूँढा है, जहाँ ज्ञान का साध्य पराविद्या व कर्म का साध्य धर्म है। जबकि पाश्चात्य संस्कृति ने जीवन के बहिर्मुखी जड़वादी दृष्टिकोण खोजे हैं व मानसिक, बौद्धिक स्वरूप पर ही ध्यान दिया है। जबकि हमारा स्पष्ट मत है कि सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाये रखने में जीवन के शाश्वत मूल्यों का योगदान होता है। शिक्षा, पारिवारिक परिवेश, विद्यालय, प्राचीन गुरुकुल, शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही शाश्वत मूल्यों को अर्जित किया जा सकता है।

प्राचीन काल में शिक्षा, संस्कृति एवं शाश्वत जीवन मूल्यों के अनवरत प्रवाह का माध्यम गुरुकुल केन्द्र व गुरुकुल प्रणाली रही है। जहाँ ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान का ध्येय था। गुरुकुल विद्यालय के वातावरण से विदा होने पर प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिज्ञा करता था।

'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' अर्थात् मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है। मेरा सम्पूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा, हमेशा मानव कल्याण एवं सेवा के लिए कार्य करूंगा, मैं सम्पूर्ण विश्व को ज्ञान व शक्ति से प्रकाशित रखूंगा। गुरुकुल में प्राप्त शिक्षाओं व गुरुदेव द्वारा प्रदत्त शक्ति से मैं अपने राष्ट्र को जीवित और जाग्रत रखूंगा। मेरे जीवित रहने तक मेरे धर्म और संस्कृति को आघात नहीं पहुँचेगा, ऐसा मैं प्रण लेता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर जब विद्यार्थी गुरुकुल से दीक्षांत समारोह के बाद विदा लेता व राष्ट्र जीवन में प्रवेश करता था, तो उस समाज का समग्र विकास होने में कोई शंका नहीं रहती थी, यही हमारी शिक्षा की पहचान थी।

आजकल देश व राष्ट्र शब्द प्रचलित है अतः इनके अन्तर को जानना आवश्यक है। देश एक स्थान वाचक शब्द है, जबकि राष्ट्र इससे भिन्न एक सांस्कृतिक विचारधारा मूलक शब्द है। दूसरे शब्दों में किसी भी राज्य या देश का प्राथमिक निर्धारण उसके भू-भाग एवं भौगोलिक सीमाओं से होता है, किन्तु विश्व में किसी देश की पहचान उस देश विशेष की संस्कृति से होती है। प्रत्येक देश की राष्ट्रीयता का निर्धारण उस देश में आदिकाल से या उसके निर्माण के साथ उद्भूत, अनुप्राणित और सिंचित सांस्कृतिक विचारधारा के आधार पर होता है, जो देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत ही नहीं किन्तु भौगोलिक सीमाओं से बाहर थी, कई स्थानों पर यह देश के वाङ्मय और देशवासियों के चिंतन, विचार, व्यक्तित्व और कृतित्व से अस्तित्व और प्रकाश में आती हैं।

पाश्चात्य और साम्यवादी विचारधाराओं से भिन्न प्राचीनकाल में प्रधानतः अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में विश्व गुरुत्व का निर्वहन करने वाले इस राष्ट्र में मानव का एकपक्षीय नहीं अपितु शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक चतुर्पक्षीय अर्थात् समग्र दृष्टि से विचार किया गया। इसी कारण जीवन के शाश्वत मूल्यों का अनवरत प्रवाह होता रहा।

राष्ट्र व समाज के सम्पूर्ण विकास का श्रेय हमारे प्राचीन गुरुकुलों और शिक्षकों को है, जिनकी शिक्षा पद्धति ऐसी थी जो मनुष्य को न केवल आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति कराती थी, अपितु शिक्षार्थियों में ऐसी शक्ति और प्रतिभा लाती थी जो स्वयं को व समाज को प्रगतिशील बना सकें। हमारे ऋषि-मुनि अपने आश्रमों में शांत बैठकर माला ही नहीं जपते थे, अपितु वे आजीवन गुरुकुल चलाने, अच्छे ग्रंथों का प्रणयन करने, यज्ञों का आयोजन करने, संस्कार और पर्वों के माध्यम से संस्कार युक्त विद्यार्थी, आदर्श परिवार एवं समाज निर्माण की व्यवस्था में निरन्तर प्रयासरत रहते थे। उन दिनों देश भर की सारी शिक्षा व्यवस्था इन ऋषियों के अधिकार में थी। आज हमारे पास ज्ञान की जो समृद्ध परम्परा है, जहाँ निष्ठाएँ व्यक्ति या स्वार्थ केन्द्रित न होकर धर्म अर्थात् सनातन सत्य केन्द्रित है। महर्षि चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अमूल्य खोज व अनुसंधान करके मानव समाज को रोग मुक्त एवं स्वस्थ बनाने की दिशा में कार्य किया। चाणक्य के प्रयत्नों से मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। वे राजकीय वातावरण से दूर एक कुटिया में रहे, उन्होंने अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र की रचना की। भारतीय ऋषियों एवं तत्त्ववेत्ताओं ने गुरुकुल में मनुष्य की अन्तर्भूमि को श्रेष्ठता की दिशा में विकसित करने के लिए ऐसे उपचारों का अविष्कार किया, जिनका प्रभाव शरीर तथा मन दोनों पर पड़ता है। इसके प्रभाव से मानव के गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि उन्नत होती थी। इस आध्यात्मिक उपचार का नाम ही शाश्वत जीवन मूल्य है। प्रत्येक गुरुकुल में नित्य यज्ञ होते थे, जिनमें सस्वर वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता था। वेद मंत्रों के स्वर उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे जब यज्ञीय ऊष्मा के साथ जुड़ जाती है तो इस अलौकिक वातावरण में मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक विशेषतायें प्रस्फुटित हो जाती है, इस प्रकार गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने के पश्चात् विद्यार्थी ऊर्जावान, चरित्रवान, राष्ट्र भक्ति से ओत-प्रोत, संस्कार युक्त व्यक्ति बनकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वाला व्यक्ति बन जाता है।

परन्तु वर्तमान समय में भारतीय युवक उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण उभयमुखी रास्ते पर खड़े हैं। एक ओर वे देख रहे हैं, वैभव एवं विलासिता से परिपूर्ण रमणीय जीवन और दूसरी तरफ आधारभूत आवश्यकताओं के अभाव में संघर्ष करते

हुए जीवन जी रहे हैं। भारत की अमूल्य आध्यात्मिक विरासत जो कि शाश्वत आध्यात्मिक सत्यों एवं विवेकपूर्ण तथ्यों पर प्रतिष्ठित है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने खोजा है, वह आधुनिक भौतिकतावादी एवं अनैतिक जीवन मूल्यों की चुनौतियों का सामना कर सकती है। दूरदर्शन, इन्टरनेट एवं अन्य जनसंचार के माध्यमों से युवकों तक जो पहुँच रहा है, इसके कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उपभोगवादिता, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, अमर्यादित औद्योगीकरण बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से वर्तमान समय में युवकों का जीवन दिशाविहिन और तनावपूर्ण हो गया है। ऐसी भयंकर अवस्था में शाश्वत जीवन मूल्य सभी युवकों के लिए अत्यन्त हितकारक एवं सहायक हो सकते हैं, इन जीवन मूल्यों में भारत के आध्यात्मिक भंडार का सारतत्त्व समाहित है जिसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक आधार पर सहज-सरल शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सभी विश्व मानवता के लिए प्रेरणादायी है, समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म एवं सभी जाति के मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी है।

शाश्वत जीवन मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का एक मात्र मार्ग शिक्षा व्यवस्था को मूल्यपरक बनाकर किया जा सकता है, अत: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में समयानुसार परिवर्तन कर नवीन मूल्यपरक शिक्षा पद्धति को अपनाना अपेक्षित है जो हमें परिस्थिति के अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वांछनीय परिवर्तन हेतु तैयार करें, जिससे शिक्षा संस्थानों से दीक्षित विद्यार्थी पुन: 'माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या:' जैसी प्रतिज्ञा कर राष्ट्र व समाज की सेवा का संकल्प लें। इस प्रकार संस्कारों से युक्त, सभ्य, स्वाभिमानी व राष्ट्राभिमानी विद्यार्थी तैयार होंगे।❑

(प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.))

स्कूल पाठ्यक्रम

सभी पुस्तकें अब मोबाइल पर उपलब्ध होंगी

स्कूली बच्चों को बड़ी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एनसीईआरटी (नेशनल काउंसिल फॉर एज्यूकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग) ने अगले सप्ताह कक्षा 1 से 12 तक की अपनी सभी किताबों को मोबाइल फोन पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। ये सभी किताबें हिन्दी या अंग्रेजी में नि:शुल्क डाउनलोड की जा सकेंगी। जरूरत सिर्फ एक एनड्राइड ऑपरेटिंग मोबाइल फोन की है।

इन किताबों के प्रयोग हेतु एनसीईआरटी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। जिस पर भाषा, कक्षा, विषय और चैप्टर के ऑप्शन उपलब्ध हैं जो कि किताबों की खोज को काफी आसान बनाते हैं। इसके अलावा इस पर विद्यार्थियों, अध्यापकों और साथ ही अभिभावकों के लिए भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध रहेगी।

एनसीईआरटी अधिकारियों के अनुसार, अध्ययन की श्रेष्ठ विधि को ध्यान में रखते हुए चेप्टर के अनुसार और टॉपिक के अनुसार सामग्री का विवरण दिया गया है। इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल से यह उम्मीद की जाती है कि विद्यार्थियों की देश में चारों और फैलते हुए ट्यूशन क्लासेज और कोचिंग सेन्टर पर निर्भरता में कमी आयेगी और साथ ही स्वयं पाठन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी इस प्रोजेक्ट को लेकर अत्यन्त उत्साहित नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अध्ययन का यह तरीका उन विद्यार्थियों के लिए बहुत मददगार होगा जो पाठ्य सामग्री लेने के लिए दूर दराज के इलाकों से आते हैं। साथ ही देश में बढ़ती हुई ट्यूशन और कोचिंग की परम्परा में भी इससे कमी आयेगी।

एनसीईआरटी ने मंत्री को अवगत कराया कि पहले दौर में एनसीईआरटी की किताबों को इस एप पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जबकि दूसरे दौर में, स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित सम्पूर्ण सामग्री को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गैर-एनसीईआरटी किताबें जो कई राज्यों में प्रयोग की जाती है उनको भी इस एप पर उपलब्ध कराने की योजना है। केवल 18 राज्यों के स्कूलों में ही एनसीईआरटी की किताबों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों के स्कूलों में उनकी स्वयं की निर्धारित की गई किताबें चलन में हैं।

एनसीईआरटी इन्टरनेट आधारित एक अन्य प्लेटफॉर्म को भी विकसित करने की योजना बना रहा है। जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों से संयुक्त पाठन को बढ़ावा देना है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा विद्यार्थी संयुक्त पाठन के लिए ग्रुप बनाकर न केवल एक दूसरे से विचार-विमर्श ही कर सकेंगे बल्कि पूरे देश में अपने विचारों का आदान-प्रदान भी कर सकेंगे। ❑

गुरु पूर्णिमा

गुरु के प्रति आभार का दिन

❑ मोनिका गुप्ता

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः।।

भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से ही गुरु को विशेष दर्जा प्राप्त है। यहाँ गुरु-शिष्य परंपरा सदियों पुरानी है। हमारे यहाँ गुरु को ईश्वर से भी ऊँचा स्थान प्राप्त है। गुरु को ईश्वर का साक्षात्कार करवाने वाला माना गया है। गुरु की महानता का परिचय संत कबीर के इस दोहे से हो जाता है –

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकै लागूं पाँय,
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाय।

गुरु का महत्त्व तो गुरु शब्द में ही निहित है। संस्कृत में गु का अर्थ है अंधकार (अज्ञान) और रु का अर्थ है हटाने वाला। इसलिए गुरु का अर्थ है अंधकार को हटाने वाला। माता-पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं जो हमारा पालन-पोषण करते हैं। हमें बोलना-चलना सिखाते हैं तथा वे सभी संस्कार देते हैं जिनके द्वारा हम इस समाज में रहने योग्य बनते हैं। उसके आगे जीवन को सार्थकता प्रदान करने के लिए जिस ज्ञान एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है वह हमें अपने आचार्य से प्राप्त होता है। पुरातनकाल में शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था थी किन्तु आज वही शिक्षा स्कूल-कॉलेजों में दी जाती है। जहाँ आचार्य अर्थात् अध्यापक, विद्यार्थी के स्वाभाविक गुणों को परिष्कृत कर उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं।

आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन गुरुपूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हिन्दू धर्म में इस दिन का विशेष महत्त्व है। हिन्दू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। इन्होंने महाभारत, 18 पुराणों एवं 18 उपपुराणों की रचना की थी। जिनमें श्रीमद् भागवत् उल्लेखनीय हैं। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अनेक महान् व्यक्तियों के जीवन पर गुरु का अत्यधिक प्रभाव रहा है। स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही परमात्मा को जानने की इच्छा थी, उन्हें आत्म साक्षात्कार तभी हो सका जब उन्हें गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। छत्रपति शिवाजी के जीवन पर उनके समर्थ गुरु रामदास जी का प्रभाव हमेशा रहा। गुरु के मार्गदर्शन में जीवन की दिशा ही

'गुरु' जो स्वयं में पूर्ण है। जो पूर्ण है वही तो पूर्णत्व की प्राप्ति दूसरों को करवा सकता है। पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाँति जिसके जीवन में प्रकाश है, वही तो अपने शिष्यों के अन्तःकरण में ज्ञान रूपी चन्द्र की किरणें बिखेर सकता है। गुरु हमारे जीवन को सही राह पर ले जाते हैं। गुरु हमारे अंदर संस्कारों का सृजन, गुणों का संवर्द्धन एवं दुर्भावनाओं का विनाश करते हैं। अतः गुरु पूर्णिमा सद्गुरु के पूजन का पर्व है। गुरु के प्रति नतमस्तक होकर कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। यह किसी व्यक्ति की पूजा नहीं अपितु ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है।

परिवर्तित हो जाती है। आवश्यकता है गुरु के प्रति समर्पण, निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा की।

'गुरु' जो स्वयं में पूर्ण है। जो पूर्ण है वही तो पूर्णत्व की प्राप्ति दूसरों को करवा सकता है। पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाँति जिसके जीवन में प्रकाश है, वही तो अपने शिष्यों के अन्त:करण में ज्ञान रूपी चन्द्र की किरणें बिखेर सकता है। गुरु हमारे जीवन को सही राह पर ले जाते हैं। गुरु हमारे अंदर संस्कारों का सृजन, गुणों का संवर्द्धन एवं दुर्भावनाओं का विनाश करते हैं। अत: गुरु पूर्णिमा सद्‌गुरु के पूजन का पर्व है। गुरु के प्रति नतमस्तक होकर कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। यह किसी व्यक्ति की पूजा नहीं अपितु ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है।

बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान् बुद्ध ने सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपने प्रथम पाँच शिष्यों को उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसी गुरु-शिष्य परंपरा के तहत गुरुपूर्णिमा मनाते हैं। सिक्ख इतिहास में भी गुरुओं का विशेष स्थान एवं योगदान रहा है। केशधारी बंधु भी श्री गुरुग्रंथ साहिब जी को ही गुरु के रूप में मानते हैं। प्राचीनकाल में विद्यार्थी इसी दिन शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुलों में प्रवेश पाते थे और फिर स्नातक होने पर इसी दिन गुरुकुल से विदा भी लेते थे। यह आवश्यक नहीं कि किसी देहधारी को ही गुरु माना जाये। मन में सच्ची लगन एवं श्रद्धा हो तो गुरु को कहीं भी पाया जा सकता है। एकलव्य ने मिट्टी की प्रतिमा में ही गुरु को ढूँढा और महान् धनुर्धर बना। दत्तात्रेय जी ने चौबीस गुरु बनाये। उन्होंने संसार में मौजूद हर उस वनस्पति, प्राणी, ग्रह-नक्षत्र को अपना गुरु माना जिससे कुछ सीखा जा सकता था।

वर्तमान युग में पुरातनकाल की गुरु-शिष्य परंपरा में कुछ विसंगतियाँ आ गई हैं। इसी कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय इसके संस्थापक डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने ज्ञान, त्याग व यज्ञ की संस्कृति की विजय पताका भगवा ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। विश्व के सबसे बड़े अनुशासित, स्वयंसेवी संगठन के रूप में संघ के विकास का एक प्रमुख कारक यह गुरु (भगवा ध्वज) ही है। प्रतिदिन शाखा में इसी भगवा ध्वज की छत्रछाया में एकत्रित होकर भारत माता को परम् वैभव पर ले जाने की साधना करोड़ों स्वयंसेवक विश्व भर में करते हैं। डॉ. हेडगेवार जी के अनुसार हम किसी व्यक्ति के विषय में यह विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि वह सदैव अपने मार्ग पर अटल रहेगा। इसीलिए उन्होंने व्यक्ति पूजा के स्थान पर भगवा ध्वज को गुरु के स्थान पर आरूढ़ किया। इस दिन स्वयंसेवक समर्पण भाव से भगवा ध्वज के समक्ष गुरु दक्षिणा अर्पण करते हैं, जो न तो शुल्क है, न ही चंदा। यह राष्ट्र के प्रति स्वयंसेवकों की श्रद्धा व प्रणाम ही है। भगवा ध्वज भारतीय संस्कृति की पराक्रमी परंपरा एवं विजय भाव का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। ❑

गुरुपूर्णिमा पर विशेष

विश्व गुरु भारत माता

❑ **देवकृष्ण व्यास**

विश्व गुरु भारत माता को, शत्-शत् करे प्रणाम
जब तक ना हो पुर्नप्रतिष्ठा, नहीं करें विश्राम ।
विश्व गुरु भारत माता को, शत-शत करें प्रणाम ।।1।।

सद्‌गुरुओं की परम्परायें, हमको फिर दोहराना है।
भारतीय संस्कृति का परचम, दुनियाँ में फहराना है।।
फिर बन जाए स्वदेश अपना, जग का विद्याधाम ।
विश्व गुरु भारत माता को, शत-शत करें प्रणाम ।।2।।

पश्चिम के दिशाहीन चिंतन ने, इस दुनिया को भोग दिया।
पूरब की स्वर्णिम किरणों ने, जग को अमृत योग दिया ।।
पूरब ने ऊषा दी जग को, पश्चिम ने दी शाम ।
विश्व गुरु भारत माता को, शत-शत करें प्रणाम ।।3।।

ऋषि मुनियों का त्याग समर्पण, गुरु गरिमा का ध्यान करें।
गुरु चरणों में नतमस्तक हो, जीवन का कल्याण करें ।।
देख रहा अपने भारत को, आशा से विश्व तमाम ।
विश्व गुरु भारत माता को, शत - शत करें प्रणाम ।।4।।

त्रिदेव बसते गुरुओं में, गुरु महिमा अपरम्पार ।
गुरु प्रकाश के पुंज है, हरते हैं हर अंधियार ।।
एक घड़ी ना आधी घड़ी, गुरु पूजन हो आठों याम ।
विश्व गुरु भारत माता को, शत-शत करें प्रणाम ।।5।।

पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र सा, भारत वर्ष अखण्ड बने ।
ज्ञान किरण लेकर गुरुओं से, वैभव पूर्ण प्रचण्ड बने।।
जब तक ध्येय नहीं पूरा हो, कैसा लगे विराम ।
विश्व गुरु भारत माता को, शत-शत करें प्रणाम ।।6।।

(प्रांत संगठन मंत्री, म.प्र.शिक्षक संघ, मालवा प्रांत)

गुरु पूर्णिमा पर विशेष

राष्ट्रीय उत्सवों का पुनरुद्धार

❑ आयुष नदिमपल्ली

वैदिक काल से लेकर समकालीन इतिहास तक, हमें ऐसे महान संत और विद्वान मिलते हैं, जो हमें यह तथ्य विस्तारपूर्वक बताते हैं कि कैसे और क्यों यह एक राष्ट्र है। लेकिन 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले भाषण में, पं. नेहरू ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत, एक बनता हुआ राष्ट्र है। इससे उनका आशय यह था कि हम अतीत में एक राष्ट्र नहीं रहे थे। तब से अब तक नीति यही रही है।

श्री अरबिंदो और श्री राधा कुमुद मुखर्जी जैसे नेहरू के स्वयं के समकालीनों ने इतिहास से व्यापक उद्धरण देते हुए हमारे राष्ट्रीय लोकाचार के बारे में विस्तार से लिखा है।

दुर्भाग्यवश, नीति उन लोगों द्वारा निर्धारित की जाती है, जिनके हाथों में शक्ति होती है। अपने स्वयं के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए, पं. नेहरू और उनके बाद की कांग्रेस सरकारों ने शिक्षित लोगों के मन से देसी ऐतिहासिक स्मृतियों को चुनौती देने और मिटाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। उन्हें लगा कि ऐसा करना यह दिखाने के लिए जरूरी था कि भारत की संस्कृति हिन्दू नहीं बल्कि मिश्रित संस्कृति थी। इस प्रकार उन्होंने मैकाले की यह योजना अपनाई कि 'एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए, जो रक्त और रंग से भारतीय हो लेकिन आचार, विचार और बुद्धि से ब्रिटिश हो।'

इस दिशा में एक प्रयास ऐसे 'दिवस और जन्मदिन' मनाकर किया गया, जो या तो हाल के इतिहास से संबंधित हों, या पश्चिमी लोकाचार के विचारों के इर्दगिर्द केंद्रित हों। इससे आशय हिंदुओं के अपने अतीत के साथ सांस्कृतिक संबंधों का निरसन करना था। इन विचारों को अंग्रेजी मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा और व्यापक पैमाने पर विज्ञापन के जरिए प्रचारित किया गया।

संस्कृति का व्यावसायीकरण

आधुनिकता के नाम पर किस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है और कैसे संस्कृति का व्यावसायीकरण किया जा रहा है, इस पर एक सरसरी नजर–

पिछले कुछ वर्षों से 'वैलेंटाइन्स डे' को

जब हम किसी ऐसी घटना का जश्न मनाते हैं, जिसकी जड़ें हिंदू लोकाचार में निहित हों, तो उसके उत्सव का प्रकार उन घटनाओं के जश्न से बहुत अलग होता है, जिनकी जड़ें पश्चिम में हैं। हिंदू नव वर्ष का उत्सव मनाने और न्यू इयर्स डे मनाने में एक स्पष्ट भिन्नता दिखती है। किसी युवा महिला को 'बहनजी' कहकर पुकारना शहरी क्षेत्रों में अपमानजनक माना जाता है, और धीरे-धीरे रक्षाबंधन, जो कि एकजुटता का एक सामाजिक त्यौहार है और जो सामाजिक सुरक्षा के लिए एक गारंटी का त्यौहार है, अब केवल परिवार के नजदीकी सदस्यों के बीच सीमित कर दिया गया है। अब इसका स्थान 'फ्रेंडशिप डे' और फ्रेंडशिप बैंड ने ले लिया है। यह सामाजिक रूप से प्रासंगिक त्यौहार को व्यावसायीकरण द्वारा हथियाये जाने का एक और उदाहरण है।

लोकप्रिय कराने के लिए मानों अंधाधुंध बमबारी की जा रही है। आज यह भारत में 1500 करोड़ रुपए का कारोबार है। इसमें रिश्तों में दरार पैदा करने की क्षमता है और यह प्रेम की अवधारणा को बाजार बना रहा है। सिंगल पेरेन्ट्स डे, गे एंड लेस्बियन डे जैसी घटनाओं को भी धीरे-धीरे प्रोत्साहित किया जा रहा है।

1 जनवरी को नव वर्ष दिवस के रूप में मनाना। 1 जनवरी एक रोमन परंपरा थी, जिसे बाद में उस दिन के तौर पर प्रचारित और स्थापित किया गया, जिस दिन यीशु का खतना किया गया माना जाता है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) द्वारा भारत के प्रमुख शहरों में कराए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में किशोरों के बीच 1 जनवरी (न्यू इयर्स ईव) पर शराब की खपत में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसे में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि शराब कंपनियाँ इसे जिंदा बनाए रखने के लिए भारी निवेश कर रही हैं।

जब हम किसी ऐसी घटना का जश्न मनाते हैं, जिसकी जड़ें हिंदू लोकाचार में निहित हों, तो उसके उत्सव का प्रकार उन घटनाओं के जश्न से बहुत अलग होता है, जिनकी जड़ें पश्चिम में हैं। हिंदू नव वर्ष का उत्सव मनाने और न्यू इयर्स डे मनाने में एक स्पष्ट भिन्नता दिखती है।

किसी युवा महिला को 'बहनजी' कहकर पुकारना शहरी क्षेत्रों में अपमानजनक माना जाता है, और धीरे-धीरे रक्षाबंधन, जो कि एकजुटता का एक सामाजिक त्यौहार है और जो सामाजिक सुरक्षा के लिए एक गारंटी का त्यौहार है, अब केवल परिवार के नजदीकी सदस्यों के बीच सीमित कर दिया गया है। अब इसका स्थान 'फ्रेंडशिप डे' और फ्रेंडशिप बैंड ने ले लिया है। यह सामाजिक रूप से प्रासंगिक त्यौहार को व्यावसायीकरण द्वारा हथियाये जाने का एक और उदाहरण है।

व्यास पूर्णिमा और गुरु पूजा उत्सव

निरंकुश उदारवाद के चार्वाक जैसे विचार हमारे देश के लिए नए नहीं हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने यह सुनिश्चित करने की विधि तैयार की कि लोग धार्मिक मूल्यों से जुड़े रहें। उन्हें त्यौहारों को महान घटनाओं और महान लोगों के साथ जोड़ने का महत्त्व पता था। हम किसी घटना का जश्न क्यों और कैसे मनाते हैं, इसका हमारे मानस पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है।

गुरु का सम्मान करने की प्रथा हमारे देश में हजारों वर्षों से रही है। गुरु परम्परा के पुनर्स्मरण से इस देश के युवा हमारे संतों के अतीत और पुरातन ज्ञान से जुड़ते हैं। व्यास, चाणक्य, शंकर, समर्थ रामदास, विद्यारण्य और इस तरह के हमारे अनेक अन्य महान गुरुओं के जीवन से मौलिक चिंतन, नवाचार और त्याग, वीरता, करुणा जैसे मूल्यों को आत्मसात किया जाता है। दुर्भाग्यवश, व्यास पूर्णिमा मनाना और हमारे गुरुओं के योगदान को स्वीकार करना एक धार्मिक गतिविधि मान लिया गया और उसके स्थान पर हम आधुनिक भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं, जो मात्र भौतिक तौर पर मनाया जाता है और जीवन के आध्यात्मिक तत्त्वों की अनदेखी करता है।

हमारा राष्ट्र धर्म के सिद्धांतों पर चलता है। गुरु पूजा जैसे 'उत्सवों' को मनाना धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करना है, जो पीढ़ियों को धर्म और बड़प्पन का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्र की शांति, सद्भाव और समग्र प्रगति की यही एकमात्र गारंटी है। ❑

केन्द्रीय स्कूलों में छठी से 10वीं कक्षा तक योग अनिवार्य विषय होगा

मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से संचालित स्कूलों में छठी से 10वीं कक्षा तक योग को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा तथा इसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनाया जाएगा। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि पाठ्यक्रम को लेकर फैसला करने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं। उन्होंने छात्रों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री जारी करते हुए आश्वस्त किया कि योग विषय का छात्रों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा, क्योंकि 80 प्रतिशत अंक प्रायोगिक परीक्षाओं से ही प्राप्त होंगे।

ईरानी ने दिल्ली में दो-दिवसीय राष्ट्रीय योग शिक्षक सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में योग को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हमने शिक्षकों के लिए भी पाठ्यक्रम तैयार किया है। योग शिक्षा में एक डिप्लोमा होगा तथा इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी होगी।'

उन्होंने बताया कि अगले साल योग पर एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसमें अव्वल रहने वाले छात्र को पाँच लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने आगामी दिसम्बर में दिल्ली के कनाट प्लेस (सेंट्रल पार्क) में 'कला उत्सव' का आयोजन किये जाने की जानकारी भी दी, जहाँ पूरे देश से आए छात्र गीत और नृत्य प्रदर्शित करेंगे।

उन्होंने आगामी 17 जुलाई को एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करने की घोषणा भी की, जिसके जरिये पहली से 12वीं कक्षा तक की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (एनसीईआरटी) की किताबें मुफ्त डाउनलोड की जा सकेगी। इस सम्मेलन में पूरे देश से 500 शिक्षकों ने भाग लिया, जिनमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों के भी 200 शिक्षक शामिल हैं।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्थानीय सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है जिससे मौजूदा पाठ्यक्रम में 25 प्रतिशत की कटौती हो जाएगी और इसके स्थान पर योग, संगीत, खेल और रंगमंच जैसे विषयों को जोड़ा जाएगा।

शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वरदान है योगासन

❑ बालमुकुन्द ओझा

21 जून, 2015 को विश्व में योग का एक नया और स्वर्णिम इतिहास रचा गया। इस दिन सम्पूर्ण संसार के देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। हमारे देश की राजधानी से लेकर गाँव–कस्बे तक शिविरों का आयोजन कर योग का अद्‌भुत प्रदर्शन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में स्त्री–पुरुषों ने भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। अब केवल भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के देशों में योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। एक ही दिन सही मगर कम से कम संसार को योग का महत्त्व तो समझ में आ ही गया है। अब साल भर में एक दिन समूचा विश्व योग के महत्त्व को जानेगा– समझेगा, यह बहुत बड़ी बात है। यह हमारे देश की जीत है।

योग साधना के आठ अंग हैं। उनमें क्रमश: यम, नियम, असान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। अष्टांग योग में प्रथम पाँच अंग बहिरंग और शेष तीन अंग अंतरंग के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं।

आठ अंगों में प्रथम अंग नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान शामिल है। दूसरे अंग आसन में योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण, तीसरे प्राणायाम में श्वास लेने संबंधी तकनीकों द्वारा प्राण पर नियंत्रण, चौथे प्रत्याहार में इन्द्रियों को वश में करना, पाँचवें चरण में एकाग्रचित्त होकर अपने मन को नियंत्रित करना, छठे अंग में ध्यान निरन्तर ध्यान मग्न होना, सातवें समाधि में आत्मा से जुड़ना है। इसके अतिरिक्त यम अंग में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना है।

योग का शाब्दिक अर्थ तन और मन को प्रसन्न रखना है। योग हमारे देश में कोई नई प्रणाली नहीं है। इसे हमने अपनी जीवनशैली के रूप में अपनाया है। प्राचीनकाल में दवाओं का प्रयोग न के बराबर होता था। जड़ी–बूटियाँ और औषधीय पेड़–पौधे और योग ही प्रचलित थे, जो शरीर को स्वस्थ रखकर नीरोग रखते थे और रोग को भगाते

योगासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे सहज–सरल और सुलभ है। इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है। यह अमीर–गरीब सबके लिए बराबर है। योगासनों में जहाँ मांसपेशियों को तानने–सिकोड़ने और ऐंठने वाली शारीरिक क्रियायें करनी पड़ती हैं, वहीं दूसरी ओर तनाव–खिंचाव दूर करने वाली क्रियायें भी होती है। इससे शारीरिक थकान मिटने के साथ–साथ आधुनिक जीवनशैली की विभिन्न बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। इससे शरीर पुष्ट होने के साथ पाचन संस्थानों में विकार उत्पन्न नहीं होते, मोटापा घटता है। शरीर सुडौल बनता है। निश्चय ही योग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वरदान है।

थे। जिन्हें अपनाकर हम शारीरिक-मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते थे।

योग और प्राणायाम का हमारी स्वास्थ्य रक्षा में भारी योगदान है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। यदि हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ होगा तो निश्चय ही मन भी प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित होगा।

योगासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे सहज-सरल और सुलभ है। इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है। यह अमीर-गरीब सबके लिए बराबर है। योगासनों में जहाँ मांसपेशियों को तानने-सिकोड़ने और ऐंठने वाली शारीरिक क्रियायें करनी पड़ती हैं, वहीं दूसरी ओर तनाव-खिंचाव दूर करने वाली क्रियायें भी होती है। इससे शारीरिक थकान मिटने के साथ-साथ आधुनिक जीवनशैली की विभिन्न बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। इससे शरीर पुष्ट होने के साथ पाचन संस्थानों में विकार उत्पन्न नहीं होते, मोटापा घटता है। शरीर सुडौल बनता है। निश्चय ही योग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वरदान है। योगासन हमारे शरीर के विकारों को नष्ट करता है। नेत्र ज्योति बढ़ाता है, योग हमारे तन और मन दोनों का ध्यान रखता है और विभिन्न बीमारियों से मुक्त रखता है।

शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए योगासनों का अपना महत्त्व और उपयोगिता है। आसनों से शारीरिक सौष्ठव के साथ-साथ श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया और रक्त संचार आवश्यक और नियमित रूप से बना रहता है। जो स्वस्थ तन-मन के लिए बेहद जरूरी है। योग की जरूरत और महत्ता को विश्व के चिकित्सकों ने भी एक मत से स्वीकारा है और यह निर्विवाद रूप से माना है कि विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए योग का उपचार वरदान साबित होगा।

योगासनों को सीखने से पूर्व आवश्यक सावधानियाँ भी रखनी चाहिये। सही आसन ही प्रयोग में लाने चाहिये। योगासन, शौच क्रिया और स्नान से निवृत्त होने के बाद किया जाना चाहिये। योगासन के लिए खुला और हवादार स्थान होना परम आवश्यक है। आसन करते समय सहज और सरल होना चाहिये तथा किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिये।

योगासनों में सूर्य नमस्कार सबसे उपयोगी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया साधक को सम्पूर्ण व्यायाम की शक्ति प्रदान करता है। इसके अभ्यास से व्यक्ति का शरीर नीरोग और स्वस्थ रहता है। बताया जाता है कि योग से अनेक बीमारियाँ न केवल दूर होती है अपितु जड़मूल से नष्ट हो जाती हैं।

मोटापा, गठिया, गैस, शारीरिक दर्द और पेट की विभिन्न बीमारियों का योग दुश्मन है। योग और प्राणायाम का घनिष्ठ संबंध है। प्राचीनकाल की इस महत्त्वपूर्ण जीवनशैली को हमने धीरे-धीरे भुला दिया था, जिसके फलस्वरूप पाश्चात्य रोगों ने शरीर पर अपना अधिकार जमा लिया। आज घर-घर में फास्ट और जंक फूड का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। मैगी की पोल खुलने से आम आदमी अवश्य सावचेत हुआ है। मगर अभी भी फास्ट फूड का उपयोग हम कर रहे हैं। विशेषकर बच्चे इसका सर्वाधिक उपयोग कर रहे हैं। इससे हमारी पाचन शक्ति के साथ-साथ पेट के रोगों को बढ़ावा मिल रहा है।

यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। तन-मन प्रफुल्लित हो, तो हमें योग को अंगीकार करना होगा। यह बिना खर्चे का बहुत ही उपयोगी और महत्त्वपूर्ण उपाय है, इसे अपना कर हम अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। ❑

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार)

शिक्षा नीति 2015 पर पंजाब विश्वविद्यालय के लुधियाना केन्द्र पर संगोष्ठी सम्पन्न

पंजाब विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र, लुधियाना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2015 विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया और इस पर विचार-मंथन किया। यह संगोष्ठी मुख्यत: तीन विषयों पर केन्द्रित रही- 1. value education on Higher education, 2. Skill & Job oriented education, 3. Indian Culture, knowledge, technology Management & Transparency in Education

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई जिसके बाद डॉ. शिव कुमार डोगरा ने आये हुए महानुभावों का स्वागत भाषण किया। डॉ. सुरेश टंडन ने सभी विद्वानों का परिचय कराया तथा प्रो. अश्वनी भल्ला ने विषय की प्रस्तावना रखी। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रो. नागेश ठाकुर (राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्) ने विषय की प्रस्तावना बाँधते हुए कहा कि शिक्षा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जो जीवन में जीने का मापदंड तय करती है। आज देश की शिक्षा पद्धति में मूल-भूत बदलाव की आवश्यकता है और इस बदलाव से ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण संभव है, जिसमें देश के शिक्षक और छात्रों की अहम् भूमिका होगी। हमें जरूरत है अपनी शिक्षा को नैतिक मूल्यों से जोड़ने की जो स्वाभिमान से ओत-प्रोत हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा सरल, सुलभ और व्यवसाय-मुक्त हो और सब-जन को शिक्षा मिल सके, इसका प्रयास होना चाहिए। ऐसी शिक्षा नीति की ही आज जरूरत है, आज भय-मुक्त और नैतिक मूल्य, कौशल-युक्त शिक्षा हो। शिक्षा व्यवस्था में इस बदलाव की चर्चा इस संगोष्ठी में हुई। डॉ. कुलदीप अग्निहोत्री ने वर्तमान समय में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता एवं इसके भावी परिणाम को रेखांकित करते हुए इसे उच्च शिक्षा में लाने पर बल दिया। छात्र और शिक्षक के सम्बन्ध पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि इसे एक परिवार की दृष्टि से देखा जाना चाहिए जहाँ गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के विकास में खून-पसीना एक करता है और शिष्य अपने गुरु के सम्मान का पूरा ध्यान रखता है. प्रो. के.एन. पाठक ने आज के समय में रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर चर्चा करते हुए इसकी आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ साथ उन्होंने विद्यार्थियों के कौशल विकास के साथ साथ उच्च शिक्षा में शोध के स्तर में सुधार पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि आज के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर जब समाज में जायें तब उनके हाथ में रोजगार हो। डॉ. टंकेश्वर ने उच्च शिक्षा में भारतीय संस्कृति के व्यावहारिक पक्ष को सामने रखते हुए आज के समय में तकनीकी शिक्षण व्यवस्था के योगदान को रेखांकित किया। इसके साथ साथ आज की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता पर बल दिया ताकि योग्य विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रह पायें। डॉ. सुरेश टंडन ने कहा कि आज शिक्षा का व्यावसायीकरण हो चुका है, जिसका विरोध होना आवश्यक है। मूल्य विहीन व बाजारी शिक्षा से हम आज कहाँ तक स्वस्थ व्यक्तित्व वाले शिक्षार्थी की उम्मीद कर सकते हैं। और फिर उनसे समाज में किस प्रकार के बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। अंतिम सत्र की अध्यक्षता प्रो. मुकेश अरोड़ा ने की और डॉ. अरुण लोमेश ने संगोष्ठी में विषय का उपसंहार किया। इसमें डॉ. सुरेश कुमार टंडन, प्रो. नागेश ठाकुर, डॉ. कुलदीप अग्निहोत्री, डॉ. अश्वनी भल्ला, डॉ. प्रदीप कुमार, प्रो. के. एन. पाठक, श्री राजेश वाघा, प्रो. एस.पी. बंसल, डॉ. शिव कुमार डोगरा, प्रो. मुकेश कुमार अरोड़ा, श्री महेंद्र कुमार, प्रो. टंकेश्वर कुमार, डॉ. अरुण लोमश, श्री देशराज शर्मा, श्री सूरज भारद्वाज की विशेष तौर पर भागीदारी रही।

शैक्षिक मंथन संस्थान, जयपुर ने शिक्षामंत्री व बोर्ड अध्यक्ष को प्रतिवेदन की प्रति भेंट की

कैसा हो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम विषय पर शैक्षिक मंथन संस्थान ने विगत माह जयपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। संगोष्ठी में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विषय विशेषज्ञों ने भावी पाठ्यक्रम की दिशा एवं दृष्टि को ध्यान में रखकर सुझाव रखे, इन सुझावों को बिन्दुवार संकलित कर संस्थान ने प्रतिवेदन तैयार किया। इस प्रतिवेदन की प्रति संस्था के शिष्ट मंडल द्वारा सचिव महेन्द्र कपूर के नेतृत्व में मा. शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. बी.एल. चौधरी को भेंट की। इस अवसर पर संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल ने संस्थान की दृष्टि एवं विचार के आधार पर तैयार किये प्रतिवेदन का हवाला देते हुए बताया की अगली पीढी की शैक्षिक पाठ्यचर्या का निर्माण करने में प्रतिवेदन मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाह करेगा। शिष्ट मण्डल में संगोष्ठी के संयोजक भरत शर्मा भी साथ थे।

रुक्टा (राष्ट्रीय) की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक जयपुर में सम्पन्न

संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह की अध्यक्षता में 17 जून 2015 को देराश्री शिक्षक सदन, जयपुर में सम्पन्न हुई। सामूहिक सरस्वती वंदना के पश्चात् महामंत्री ने गत कार्यकारिणी बैठक का कार्यवाही विवरण सदन के समक्ष रखा जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात् महामंत्री द्वारा गत बैठक के बाद संगठन की उपलब्धियों एवं गतिविधियों को विस्तार से उपस्थित कार्यकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। महामंत्री ने राज्यपाल, उच्च शिक्षा मंत्री तथा अन्य अधिकारियों से हुई वार्ताओं का विस्तृत विवरण देते हुए बताया कि गत बैठक के पश्चात् संगठन के प्रयासों से वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान में वेतन नियतन के समय 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने तथा वेतन स्थिरीकरण के फलस्वरूप देय एरियर का नकद भुगतान करने, व्याख्याताओं एवं मंत्रालयिक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने जैसी समस्याओं का समाधान हुआ है। शेष समस्याओं के समाधान में संगठन के प्रयासों से प्रगति हुई है, इसे परिणति तक पहुँचाने के लिए संगठन निरन्तर सजग है। इसके पश्चात् उपस्थित सदस्यों द्वारा शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को उठाया तथा संगठन द्वारा इनके समाधान में गहन कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की। बैठक में अगले सत्र में इकाइयों/विभागों द्वारा सम्पन्न सांगठनिक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों का वृत्त सदन के समक्ष रखा गया। वर्ष भर में इकाईयों/विभागों द्वारा सम्पन्न इन गतिविधियों पर संतोष प्रकट किया गया तथा कर्त्तव्य बोध, नवसंवत्सर एवं गुरुवंदन कार्यक्रमों को केन्द्र द्वारा नियोजित ढंग से प्रत्येक इकाई तक मनाने का निर्णय लिया गया।

इसके पश्चात् अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री माननीय महेन्द्र कपूर ने 9 से 11 अक्टूबर तक नागपुर में संपन्न होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की जानकारी दी तथा अधिवेशन में अपेक्षित मर्यादाओं को बताते हुए उनके पालन का आग्रह किया। मा. महेन्द्रजी ने महासंघ द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर होने वाले शिक्षक सम्मान के लिए अक्षय कोष हेतु धन संग्रह जुलाई माह में सम्पन्न कर विभागश: राशि ऑनलाइन बैंक खाते में जमा कराने का आग्रह कार्यकर्ताओं से किया। भोजन के पश्चात् महामंत्री ने सदस्यता अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 15 जुलाई के पश्चात् रुक्टा (राष्ट्रीय) की वार्षिक सदस्यता नहीं ली जानी है तथा सदस्यता की राशि प्रति सदस्य 100 रु के हिसाब से राज्य को भेजी जानी है। कार्यकारिणी के निर्णयानुसार इस वर्ष से इकाई का अंश इकाई में नहीं रखते हुए इकाई में हुए खर्चों के वाऊचर प्रस्तुत किये जाने पर प्रति सदस्य 20 रु. तक की राशि का पुनर्भरण राज्य द्वारा किया जा सकेगा।

बैठक के अगले सत्र् में संगठन मंत्री डॉ. ग्यारसीलाल जाट ने सभी से अपेक्षा की कि संगठन में किसी के पास दोहरा दायित्व न हों। विभाग स्तर पर इकाई सचिवों को शामिल करते हुए टोली का गठन हो, जिनकी नियमित बैठकें हो। उन्होंने आग्रह किया कि संगठन के विस्तार हेतु मन बड़ा रखते हुए सभी को साथ लेकर चलें। उन्होंने कहा कि वेतन भत्ते सुविधाएँ संगठन के प्रयासों से बेहतर हुए हैं, आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे किन्तु वास्तविक प्रसन्नता धन में नहीं सेवा में है, अत: समाज में हमसे कमजोर बंधुओं की सहायता जैसे सामाजिक कार्यों को हाथ में लेने से ही आंतरिक संतुष्ठि निर्माण हो सकती है। समारोप सत्र में पाथेय देते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल ने प्रसन्नता व्यक्त की कि संगठन का व्याप बढ़ा है हर वर्ग के नए कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से समाज को अनेक अपेक्षाएं हैं, हमें अपने दायित्व पर खरा उतरना होगा। हमारे व्यवहार से लोग हमसे जुड़ें, कार्य का मूल प्रेम बने। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से हुई भेंट का विवरण देते हुए बताया कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के संबंध में श्रीमती ईरानी ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं तथा संगठन यू.जी.सी. एवं एम.एच.आर.डी. के निरन्तर सम्पर्क में है।

अध्यक्षीय उद्‌बोधन देते हुए संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह ने कहा कि हम अपनी ताकत के आधार पर सदस्यता का रिकार्ड बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि मात्र सदस्यता संग्रहण के समय नहीं वरन् सदस्यों के साथ निरन्तर जीवंत सम्पर्क रहना चाहिए। उन्होंने अपने दायित्व को अधिकार न समझने की सलाह देते हुए नाम से अधिक विचार को महत्व देने का आह्वान किया। अंत में गत बैठक के पश्चात् दिवंगत शिक्षक साथियों को दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि दी गई। सामूहिक कल्याण मंत्र के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

माध्यमिक संवर्ग द्वारा मानव संसाधन मंत्री को नई शिक्षा नीति निमित्त दृष्टि पत्र सोंपा

माध्यमिक संवर्ग द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार देश में नई शिक्षा नीति बनाने जा रहा हैं, इस निमित्त अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के माध्यमिक संवर्ग की कोर समिति की बैठक राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय महेन्द्र कपूर के सानिध्य एवं संवर्ग के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में 12 अप्रेल 2015 को आयोजित हुई। बैठक में माध्यमिक शिक्षा के हित में व्यापक विचार विर्मश कर एक दृष्टि पत्र तैयार किया गया। 14 जून 2015 को उक्त दृष्टि पत्र को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक दिल्ली में राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष, महामंत्री एवं संगठन मंत्रियों को विचारार्थ प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उक्त दृष्टि पत्र को अंतिम रूप देकर माध्यमिक संवर्ग के राष्ट्रीय सचिव श्री मोहन पुरोहित ने 20 जून 2015 को मानव संसाधन मंत्री को माध्यमिक शिक्षा से संबंधित नई शिक्षा नीति निर्धारण हेतु विभिन्न सुझावों को समावेशित कर 'दृष्टि पत्र' प्रस्तुत किया गया।

दिल्ली अध्यापक परिषद के ग्रीष्मावकाश में आयोजित विशेष शिक्षा कार्यक्रम का समापन

30 जून 2015 को 1.5 माह से चल रहे विशेष शिक्षा कार्यक्रम के समापन में दिल्ली अध्यापक परिषद के नियम निकाय के अध्यक्ष राजेन्द्र चौहान ने कहा कि अपने चरित्र तथा नैतिकता के आधार पर शिक्षक बच्चे के भविष्य का निर्माण कुम्भकार की तरह करता है।

इससे पूर्व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जगदीश सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली अध्यापक परिषद शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ राष्ट्रहित एवं छात्रहित से जुड़े कार्यक्रमों में संलग्न रहता है।

दिल्ली अध्यापक परिषद के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि नैतिकता और समाज तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव पहले माँ, बाप तथा शिक्षक में आये तभी बच्चों में यह संस्कार आ पायेंगे। सभी को कर्तव्यनिष्ठा एवं शिक्षा के उत्थान में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया कार्यक्रम के संयोजक एवं प्रभारी निगम निकाय के उपाध्यक्ष श्री आशिक अब्बास की सभी ने बहुत प्रशंसा की।

अन्त में आशिक अब्बास ने सभी पदाधिकारियों, आगन्तुक अतिथियों, प्राचार्यों, अभिभावकों के साथ शिविर में भाग लेने वाले शिक्षक एवं छात्रों का धन्यवाद किया।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे दिल्ली अध्यापक परिषद के महामंत्री रतन लाल शर्मा ने इस कार्यक्रम की सफलता से उत्साहित होकर अगले सत्र में 10 स्थानों पर इस तरह के शिविर लगाने की घोषणा की। कार्यक्रम में दिल्ली अध्यापक परिषद के कोषाध्यक्ष राकेश जैन, निगम निकाय मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह, सुभाष चन्द बघेल, प्रवीण कुमार शर्मा, संतोष यादव, सोनू, अंकुश जैन आदि की विशेष उपस्थिति रही।

रुक्टा (राष्ट्रीय) राजकीय ने महाविद्यालय अजमेर में चलाया सफाई अभियान

सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर में व्याख्याताओं के हाथ में न तो रजिस्टर था और न ही चॉक डस्टर न ही किसी तरह की पुस्तक। किसी के हाथ में पेन्ट ब्रश था किसी के हाथ में झाडू तो किसी के हाथ में पुताई करने का सामान, सभी व्याख्याता पूरे तन मन से जुटे हुए थे महाविद्यालय को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने में, सभी के मन में एक ही भाव था - नये प्रवेशित छात्रों को महाविद्यालय में स्वच्छ एवं सुरम्य वातावरण उपलब्ध कराने का। अवसर था राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) एवं महाविद्यालय के पूर्व छात्रों के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय में सफाई अभियान का ।

महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. दीपक राज मेहरोत्रा ने बताया कि महाविद्यालय के व्याख्याता एवं पूर्व छात्र श्री जे.के.शर्मा, श्री राजेश बंसल, डॉ. अरुण अरोड़ा तथा श्री आशीष पुरी ने महाविद्यालय के पुस्तकालय, बोटनी गार्डन, प्रशासनिक ब्लॉक के सामने रंग रोगन एवं पुताई का कार्य किया तथा रसायन विभाग एवं भूगोल विभाग के पीछे सफाई कार्य किया।

रुक्टा राष्ट्रीय के महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत अभियान के तहत सरस्वती के मन्दिर में व्याख्याताओं एवं पूर्व छात्रों ने सफाई अभियान चलाकर महाविद्यालय के छात्रों एवं नये प्रवेशित छात्रों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वे महाविद्यालय के परिसर को स्वच्छ एवं हरा-भरा रखने में सहयोग देवें व अन्य को प्रेरित करें। जीसीए के पूर्व छात्र श्री जे.के.शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव होने के कारण वे समय समय पर महाविद्यालय की स्वच्छता को बनाये रखने में सदैव तत्पर रहेंगे।

इस अवसर पर रूक्टा राष्ट्रीय की स्थानीय इकाई सचिव डॉ. लीलाधर सोनी ने जीसीए के पूर्व छात्रों एवं आगन्तुक सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

रुक्टा (राष्ट्रीय) का सम्पर्क कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में सम्पन्न

चित्तौड़गढ़ में रुक्टा (रा.) की विभागीय इकाई द्वारा दिनांक 19 जून 2015 को महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परिचर्चा एवं सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के अन्तर्गत रुक्टा (रा.) के महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि , प्राचार्य प्रो.एस.के. ठक्कर ने अध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष डा पीयूष शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन विभागीय सचिव श्री सन्दीप शर्मा ने किया।

कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत करते हुए व्याख्याता डॉ. लोकेन्द्र सिंह चूण्डावत ने महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता का स्वागत करते हुए उन्हें व्याख्याताओं की विभिन्न समस्याओं एवं माँगों से अवगत कराया।

मुख्य अतिथि डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने अपने उद्‌बोधन में सभी प्रमुख मुद्दों एवं माँगों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। डॉ. गुप्ता ने विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि पदनाम परिवर्तन का आदेश अतिशीघ्र जारी होगा तथा पे बेन्ड फोर के प्रावधानों में समुचित संशोधन, पीएचडी धारक व्याख्याताओं की वेतन वृद्धि, पीएच.डी. के लिए कोर्स वर्क में छूट, संविदा व्याख्याताओं की वेतन विसंगतियाँ आदि मुद्दों के विधिसम्मत हल के लिए संगठन निरंतर प्रयासरत है।

कार्यक्रम अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. एस.के. ठक्कर ने रुक्टा (रा.) की प्रशंसा करते हुए इसे सही मायने में एक राष्ट्रवादी संगठन की उपमा दी। अंत में विभागीय अध्यक्ष ने उपस्थित व्याख्याताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रुक्टा (रा.) के विभागीय सहसचिव डॉ. भरत दास वैष्णव, महिला प्रतिनिधि डॉ. भारती मेहता, इकाई सचिव डॉ. गौतम कुमार कूकडा, प्रो. लादू लाल शर्मा, डॉ. जी एल आगाल, डॉ. राकेश भट्ट, डॉ. अशुतोष व्यास आदि व्याख्याता गण उपस्थित रहे।

ABRSM- Karnataka Higher Education Wing Organised

A Round Table Meet on proposed New Education Policy

A Round Table Meet on new Education Policy was organized by ABRSM Karnataka unit. The meet was attended by vice chancellors, ex-vice chancellors, MLCs, academicians practicing teachers and student leaders. The meet focused on ten important points of education policy to be formed at the center. Dr. Raghu Akmanchi, the convener of the meet delivered introductory speech on the education policies of the past and present.

Dr. Ashok Shettar, the vice chancellor of KLE technological university initiated the discussion by talking on integrating skill development. He said "There is a need to provide the students with the competencies which make them contribute to the nation. Unfortunately, content is more focused than skills. Hence, there is a necessity of bringing skill development in every spare of education."

Dr. B G Mulimani, the ex-vice chancellor of Gulbarga University presided over the meet and emphasized both teaching and imparting knowledge and skills. Dr. S.S. Patagundi of Karnataka University spoke on improving state universities and felt that political interference is inevitable in the governance. He referred to Yeshpal committee report and asked for strengthening UG and PG education. Mr. Gopalkrishna Joshi of KLE's Technological University presented views on technology enabled learning in higher education. Dr.H M Maheshwarayya, the vice chancellor of Karnataka Central University, Kalaburgi, spoke on the need for student welfare initiatives such as student safety insurance, loan and scholarship, accommodation etc. Dr. K. Aithal of Karnataka University presented his views on promoting research and innovation in higher education. Indian research is more imitative than innovative. He felt there should be more incentive programs for research and effective measures to study the research proposals.

Dr. S. V. Sankanur, the MLC spoke on the general enrollment ratio in higher education and need for addressing disparities in student teacher ratio. He also asked the government to take effective measures to fill those vacant teaching posts. Dr. Prasad Rudagi presented his views on open learning programs; he said that there is need for using technology for digital native generation. So, he emphasized IT infrastructure creation. Dr. M.S.Subhash of KUD spoke on engagement with industry and need for having information centers. Dr. Shrinivas Balli National vice president ABVP and Dr. G.B Nandan of KUD spoke on need for bringing ethics in higher education. Mr. Arun Shahpur, the MLC told teachers have to introspect themselves before talking about their rights. He said, "Teachers have to regain the past glory of guru so that society pays back the same. He is ready to take the recommendations of the meet to the policy makers and see that teachers' voice is heard."

Dr S.V. Hiremath, Dr.Prakash Tevary, Prof Mahesh Deshapande, Prof. Sandeep Budihal,Dr. Basavaraj Tallur,Dr.Pragna Mattihalli, Dr. J.S. Bhat, Dr Mahadevappa Dalapati,Dr.Srikant Kulkarni, Dr.Jagadhish Baragi Sri.K.S.Jayant, sri.Shantanna Kadiwal, Dr. Lingaraj Horakeri,Sri Veeresh Balikai, President ABVP, Sri Veeresh Angadi of KLE Technological university, Sri H.S. Shiggoun secretary,SJMV Sangh, Basavesh Kori,Siddu Salimath of ABVP were participated in the discussion. Dr. Gurunath Badiger , the co-convener of the meet welcomed the participants and introduced the guests. Prof. Balakrishna Bhat, the ex MLC and additional general secretary of ABRSM spoke on the activities of ABRSM. Prof. Narayan Upadhya proposed vote of thanks. More than 50 teachers, scholars, and student representatives were present in the meet.

"India should introduce entrepreneurship in educational syllabus" – Dr. A P J Abdul Kalam

Former President APJ Abdul Kalam has called for the inclusion of entrepreneurship in the educational curricula in the country. "We need education that creates environment for entrepreneurship," Kalam said at the city-based Entrepreneurship Development Institute in Ahmedabad. "The education system should introduce syllabus of entrepreneurship; students right from school to college need to get skills that can provide freedom," he said. The former President also stressed that banks should be pro-active in supporting innovations. The global community should focus on common issues like poverty, lack of education and poor healthcare, he added. "Today, the challenge before the world is of poverty, including in India. We need to find solutions. It is the collective responsibility of the global community. Countries should start tackling common enemies like poverty, lack of education and poor healthcare," he said. There is need for an equal distribution of resources and we should focus on national, regional and global peace, he said.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न

महासंघ का छठा राष्ट्रीय अधिवेशन 9-10-11 अक्टूबर 2015 को नागपुर में

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 14 जून 2015 को महाशय चुन्नीलाल सरस्वती बाल मंदिर, हरिनगर, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सम्बद्ध संगठनों द्वारा सम्पन्न कार्यक्रमों के निवेदन के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की योजना को इस बैठक में अन्तिम रूप दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री बजरंग प्रसाद मजेजी द्वारा महासंघ के वर्ष 2014-15 के अंकेक्षित आय-व्यय को सदन के समक्ष रखा गया। कार्यकारिणी बैठक में 2 विश्वविद्यालय संगठन एवं एक राज्य संगठन के प्राप्त सम्बद्धता के आवेदनों पर विचार कर सम्बद्धता प्रदान की गई।

देश की शिक्षा नीति कैसी हो, इस पर महासंघ ने कई कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया है, ऐसी संगोष्ठियां देश के भिन्न-भिन्न भागों में और आयोजित की जाऐं और इनके निष्कर्षों के आधार पर महासंघ का सुविचारित मत समग्रता के साथ 'नई शिक्षा नीति' के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

शाश्वत जीवन मूल्य जनजागरण अभियान के प्रथम चरण की समीक्षा की गई और अनुभव आया कि राज्य स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर तक शाश्वत जीवन मूल्य कार्यशालाओं का आयोजन हुआ है। इसके दूसरे चरण को जुलाई माह से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया जिसमें ब्लाक/तहसील तक शिक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित हों और इनमें सभी महाविद्यालय तथा विद्यालयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये। आने वाले समय में इस अभियान में छात्रों, अभिभावकों एवं समाज के अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं को सहभागी बनाने की योजना पर भी विचार किया गया।

शिक्षकों की समस्याओं के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्री महोदया एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के साथ महासंघ के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता का विवरण महामंत्री ने प्रस्तुत किया एवं सभी ने केन्द्र के सकारात्मक रवैये पर संतोष व्यक्त करते हुए इस वार्ता के क्रम को जारी रखने का सुझाव दिया। महिला सहभाग वृद्धि वर्ष के अन्तर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा की गई और महिलाओं की सक्रियता में वृद्धि के लिए सभी स्तरों पर प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

9, 10 एवं 11 अक्टूबर 2015 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का छठा राष्ट्रीय अधिवेशन जो नागपुर (महाराष्ट्र) में आयोज्य है, उसकी सम्पूर्ण योजना पर महासंघ के संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। अपेक्षित लोगों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ महासंघ की 'विकास यात्रा' एवं 'शाश्वत जीवन मूल्यों' पर आधारित प्रदर्शनी लगाने, महासंघ के कार्यों की डाक्यूमैन्ट्री बनाने तथा सम्बद्ध संगठनों के द्वारा किये गये विशेष कार्यक्रमों की प्रदर्शनी लगाने का भी निर्णय लिया गया। पूर्णतया आवासीय अधिवेशन 'शाश्वत जीवन मूल्य' विषय पर आधारित होगा। इसमें शिक्षा एवं शिक्षकों के विषयों पर चर्चा के अलावा अनेक वैचारिक विषयों पर गहन विचार विमर्श होगा। अधिवेशन के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वाले अद्‌भुत प्रतिभा के धनी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संवर्ग के एक-एक शिक्षक को राष्ट्रीय स्तर पर 'शिक्षा भूषण' पुरस्कार से सम्मानित करने की योजना को अन्तिम रूप दिया गया।

रांची में 22 सूत्रीय ज्ञापन के साथ शिक्षक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा संवर्ग का एक प्रतिनिधिमण्डल 23 जून 2015 को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिला। उच्च शिक्षा में सुधार व शिक्षक और छात्र हितों से संबंध एक 22 सूत्रीय ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा गया।

शिक्षकों ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन, समयबद्ध प्रोन्नति, विश्वविद्यालय शिक्षकों के पदनाम में एकरूपता के साथ शिक्षकों के पद सृजन व नियुक्ति, पीएचडी इंक्रीमेंट व्यवस्था लागू करने व स्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति शामिल है। साथ ही, सभी जनजाती व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई, परफॉर्मिंग आर्ट विभाग व पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना आदि की माँग की गई। अन्य मुद्दों में छठे वेतनमान के बकाए का भुगतान, कॉलेजों में मौलिक सुविधाएँ, संबद्धता प्राप्त कॉलेजों को अंगीभूत करने व आरयू के मोरहाबादी में सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक व्यावसायिक व प्रचार वाहनों के प्रवेश पर रोक आदि की माँग की। आरयू को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की भी माँग की गई। राज्यपाल ने इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ. सुशील अंकन, नीलांबर पीतांबर, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ. बृज कुमार मिश्र, प्रदेश महामंत्री डॉ. ब्रजेश कुमार, मंत्री डॉ. ज्योतिप्रकाश, डॉ. सुनीता कुमारी, डॉ. सीनी मुंडा, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. बैद्यनाथ कुमार, डॉ. पंपा सेनविश्वास, डॉ. मंजू मिंज शामिल थे।